राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
जयपुर

42 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024

अनुक्रमणिका

2. निदेशक मण्डल
3. अध्यक्षीय अभिभाषण
5. निदेशकों का प्रतिवेदन
23. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
24. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
38. तुलन पत्र
39. लाभ-हानि वक्तव्य
40. अनुसूची

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं निदेशक	:	श्री इंद्रजीत सिंह
प्रबन्ध निदेशक	:	डॉ. पी. एन. शर्मा
निदेशक	:	डॉ. रेनुका मिश्रा श्रीमती अंजू गोयल श्री दिनेश कुमार शर्मा
लेखा परीक्षक	:	मैसर्स वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार जयपुर (राजस्थान)
बैंकर	:	पंजाब नेशनल बैंक एल.सी. शाखा, एम.आई. रोड़ जयपुर
पंजीकृत कार्यालय	:	2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र सिरसी रोड़, जयपुर – 302034

अध्यक्षीय अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक को प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वर्ष 2023–24 आपकी कंपनी के लिए एक घटनापूर्ण और उत्पादक वर्ष रहा, जिसमें राजस्व, लाभप्रदता, ऑर्डर बुक और उत्पादकता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मैं इस अवसर पर वर्ष के दौरान प्रदर्शन की मुख्य बातें साझा करना चाहता हूं।

लगभग सभी देशों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के प्रभावों को महसूस किया, जिसमें ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें, मुद्रास्फीति दर और अस्थिर बाजार शामिल हैं। दुनिया में जहां भू–आर्थिक विखंडन जारी है, वहीं भारत चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में लचीलापन दिखा रहा है। इस भावना को मजबूत घरेलू मांग, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निवेश और मजबूत होते वित्तीय क्षेत्र द्वारा बल मिला।

एक दशक पहले, भारत विश्व स्तर पर नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, हाल ही में यह पांचवें स्थान पर पहुंच गया और अब अनुमान बताते हैं कि भारत 2027–28 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आपकी कंपनी अपने शक्तिशाली ब्रांड, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया, उत्कृष्ट बिक्री–पश्चात सेवा और ग्राहक संबंधों के संदर्भ में आंतरिक शक्ति के आधार पर दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ व्यवसाय का निर्माण करने के अपने कार्य को जारी रखे हुए है। यह बेहतर दक्षता और लागत में कमी लाने के लिए परिचालन को युक्तिसंगत और सुव्यवस्थित करने को उच्च प्राथमिकता देती है।

वर्ष की मुख्य विशेषताएं

वित्त वर्ष 2023–24 में, रील ने 189.22 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 121.37 करोड़ रुपये था, जिससे 56% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि सभी खंडों और क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई। कर पश्चात लाभ (पीएटी) 316.14 लाख रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह (घाटा) 1006.06 लाख रुपये था। आपकी कंपनी ने पिछले चार वर्षों से लगातार घाटे के बाद सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त किए हैं।

स्थिरता हमारे व्यवसाय के प्रमुख स्तंभों में से एक है और हम रील में अपने स्थिरता प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन नए लक्ष्यों के साथ खुद को चुनौती दे रहे हैं। हम अपने व्यवसाय मॉडल को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में टिकाऊ बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी स्थिरता प्राथमिकताएं अलग–अलग भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों को कवर करती हैं।

आपकी कंपनी हमेशा ईमानदारी और नैतिक और पारदर्शी तरीके से व्यवसाय संचालित करने और कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के उच्चतम मानक को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा तैयार कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। हम समय–समय पर कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहे हैं और कंपनी के कामकाज के सभी पहलुओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अद्यतन कर रहे हैं। आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड दिया गया है।

कंपनी ने गुयाना ऊर्जा एजेंसी (जीईए) से अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया और निष्पादित किया, जिसकी कीमत 68.51 करोड़ रुपये (USD 8387462) है, जिसमें अच्छा मूल्यवर्धन है, इसके लिए सहकारी गणराज्य गुयाना देश के ग्रामीण इलाकों के समुदायों में एसपीवी होम एनर्जी सिस्टम की आपूर्ति के लिए 30000 सिस्टम भेजे गए।

कंपनी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन, पेयजल मिशन, खाद्य सुरक्षा और किसान की आय दोगुना करना, फेम इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान करने के लिए अपने व्यवसायिक परिचालन को समन्वित किया है। रील ने सुरक्षा एवं निगरानी, डिजिटल इंडिया, स्वचालन, ई–गवर्नेंस, पेपरलेस कार्यालय, आईओटी और वेब–आधारित समाधान आदि के माध्यम से कंपनी के डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रयास किया है।

भू–स्थानिक ड्रोन सर्वेक्षण एवं विकास परियोजना के अंतर्गत, रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के लिए उद्यम भू–स्थानिक समाधान का

कार्यान्वयन एवं रखरखाव हेतु रील ने ड्रोन सर्वेक्षण (ड्रोन उड़ाना एवं रॉ डेटा एवं चित्र एकत्रित करना) तथा 392 रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) में 1150 ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट एवं स्मारकों की स्थापना का कार्य पूरा किया, जिसमें 40,000 हेक्टेयर से अधिक के कुल क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया तथा 392 रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के लिए जीआईएस योजनाएं बनाई गईं।

कंपनी को राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSE) से राजस्थान में 291 सरकारी पीएम श्री स्कूलों में एसपीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट (5/8 किलोवॉट) के कार्यान्वयन के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। परियोजना की कुल लागत 1451.69 लाख रुपये है। कंपनी ने अब तक 222 स्कूलों में सामग्री की आपूर्ति की है। परियोजना दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, कंपनी ने राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके तहत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग की जाएगी, जिसकी कुल क्षमता 2830 किलोवॉट है, जिसमें पांच साल की अवधि के लिए रखरखाव भी शामिल है।

नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को बनाए रखने और व्यवसाय, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कौशल विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में उत्कृष्टता के लिए कंपनी को एंपलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थाान द्वारा 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया।

अक्षय ऊर्जा विभाग में कंपनी ने विभिन्न सीपीएसई और विभागों के लिए परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसईडब्ल्यूए टीएचडीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, वन विभाग, पीएचईडी विभाग, शिक्षा विभाग राजस्थान और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दीपम, सीएजी, राजस्थान सरकार, हमारे सम्मानित ग्राहकों, लेखा परीक्षकों, विक्रेताओं और अन्य प्राधिकरणों एवं एजेंसियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निरंतर सहयोग प्रदान किया है। आपका निरंतर सहयोग हमारी सफलता में सहायक रहा है।

मैं बोर्ड के सदस्यों के प्रति उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं और सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों के अपार योगदान और समर्पण को स्वीकार करता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

दिनांक : 30.10.2024 हस्ताक्षरित

स्थान : जयपुर **(अध्यक्ष)**

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

व्यवसाय में कई चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने पिछले चार वर्षों से लगातार घाटे के बाद सकारात्मक वित्तीय परिणाम दर्ज किए। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 185 करोड़ रुपये के संचालन से राजस्व में 55% की वृद्धि दर्ज की जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 120 करोड़ रुपये था और चार साल के अंतराल के बाद पिछले वर्ष के 10.08 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में कर पश्चात लाभ 3.16 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023–24 में राजस्व में वृद्धि भू–राजनीतिक मुद्दों और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख इनपुट की कमी के कारण सामग्री उपलब्धता के लिए बनी चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य संचालन आय, सीधे तौर पर बॉटम लाइन में योगदान करते हुए 3.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 182% अधिक है। कर पश्चात लाभ में वृद्धि को कंपनी में मजबूत बजटीय नियंत्रण को दर्शाते हुए प्रशासनिक और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों पर निरंतर कड़े बजटीय नियंत्रण से भी सहायता मिली।

कंपनी ग्राहकों की जरुरतों की पहचान करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में परिवर्तित करके और भरोसेमंद बिक्री पश्चात सेवाएं प्रदान करके संपूर्ण संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। रील सोलर फोटो वोल्टिक, दूध परीक्षण और दूध सहकारी और डेयरी उद्योग क्षेत्र की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को ऑन/एटी लाइन दूध विश्लेषण स्वचालन समाधान और ई–गवर्नेंस डेयरी वर्टिकल, लघु व्यवसाय और सरकारी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार अनुप्रयोगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।

कंपनी ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, पेयजल मिशन, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय को दोगुनी करने, फेम इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए व्यवसाय संचालन को संरेखित किया है। रील ने सुरक्षा और निगरानी, डिजिटल इंडिया, ऑटोमेशन, ई–गवर्नेंस, पेपरलेस ऑफिस, औद्योगिक आईओटी और क्लॉउड आदि के माध्यम से कंपनी के डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रयास किया है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी की वित्तीय हाइलाइट्स नीचे दी गई हैं।

(लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	कारोबार एवं अन्य आय	**18922**	12137
2.	सामग्री लागत	**10289**	6358
3.	श्रम लागत	**3257**	3343
4.	अन्य राजस्व व्यय	**4665**	3826
5.	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	**711**	(1390)
6.	कर पूर्व लाभ/(हानि)(पीबीटी)	**437**	(1670)
7.	निवल मूल्य	**6561**	6286

कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

आपकी कंपनी अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से त्वरित उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री के बाद सहायता सुनिश्चित करके डेयरी और सोलर उद्योग में प्रमुख स्थान रखती है।

कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर, गुयाना ऊर्जा एजेंसी (जीईए) से गुयाना देश के सहकारी गणराज्य के हिंटरलैंड समुदायों के ग्रामीण घरों में एसपीवी होम एनर्जी सिस्टम की आपूर्ति के लिए, को सफलतापूर्वक पूरा किया और निष्पादित किया, जिसकी कीमत 68.51 करोड़ रुपये (यूएसडी 8387462) थी, जिसके तहत 30000 सिस्ट्म भेजे गये।

डेयरी क्षेत्र में, वर्ष के दौरान, कंपनी को देश भर की विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों से एएमसीयू, एडीपीएमसीयू, ईएमटी, मिल्क एनालाइजर के बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के डेयरी समाधान दुग्ध समितियों को आत्मविश्वास के साथ काम करने और अत्यंत पारदर्शिता और दक्षता के साथ काम करने में मदद कर रहे हैं। ग्राहकों के विश्वास के कारण, कंपनी बहुत प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य के बावजूद अच्छे ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम है।

ऑटोमेशन अब तक डेयरी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण वरदान रहा है। रील की ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू) डेयरी आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटलीकरण और स्वचालन का अग्रदूत रही है। इस समाधान से डेयरी किसानों, दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध महासंघों को अपने दूध संग्रहण और खरीद प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यवसाय फल–फूल रहा है और किसानों को पारदर्शी संचालन के माध्यम से उनके दूध का सही मूल्य मिल रहा है। इस वर्ष कंपनी को देश भर से 2000 से अधिक एएमसीयू के लिए अच्छे ऑर्डर प्राप्त हुए।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, कंपनी ने राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके

तहत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के कुल 2830 किलोवॉट ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए का रखरखाव शामिल है। इसके मुकाबले 1225 किलोवॉट का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस पर्यावरण अनुकूल कदम से सरकारी कॉलेजों के बिजली बिलों में कमी आएगी, खासकर उन कॉलेजों में जहां बिजली की खपत अधिक है।

कंपनी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर से राजस्थान राज्य में 291 सरकारी पीएम श्री स्कूलों में ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट के कार्यान्वयन के लिए 12.75 करोड़ रुपये का प्रतिष्ठित ऑर्डर भी प्राप्त हुआ।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा राजस्थान राज्य भर में राजस्थान मदरसा बोर्ड की 500 स्मार्ट कक्षाओं के कार्यान्वयन के लिए 13.09 करोड़ रुपये का प्रतिष्ठित ऑर्डर निष्पादित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा को उन्नत करना है। इन कक्षाओं को इंटरैक्टिव शिक्षण और शिक्षण अनुभव के उद्देश्य से तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के लिए भू–स्थानिक ड्रोन सर्वेक्षण और विकास, उद्यम भू–स्थानिक समाधान के कार्यान्वयन और रखरखाव की चल रही परियोजना के तहत, रील ने ड्रोन सर्वेक्षण (ड्रोन उड़ाना और कच्चे डेटा और चित्र एकत्र करना) और 100 रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के लिए 300 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स और स्मारकों की स्थापना का काम पूरा कर लिया है, जिसमें कुल 17283.7 हेक्टेयर क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है और 251 रीको औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के लिए जीआईएस योजनाएं बनाई गई हैं।

आपकी कंपनी अपने शक्तिशाली ब्रांड, गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रक्रिया, उत्कृष्ट बिक्री–पश्चात–सेवा और ग्राहक संबंधों के संदर्भ में आंतरिक ताकत के आधार पर दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ व्यवसाय बनाने के अपने कार्य को जारी रखे हुए है। यह बेहतर दक्षता और लागत में कमी लाने के लिए परिचालन को तर्कसंगत और सुव्यवस्थित करने को उच्च प्राथमिकता देती है।

लाभांश

यद्यपि कंपनी ने चार वर्षों के अंतराल के बाद वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 3.16 करोड़ रुपये का सीमांत लाभ दर्ज किया है, लेकिन विस्तार के लिए भविष्य की पूंजी निवेश योजना पर विचार करने और मौजूदा तरलता स्थिति और विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी के संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करने का प्रस्ताव है।

सामान्य संचय से स्थानांतरण

वर्ष 2023–24 के लिए प्रतिधारित आय से कंपनी के सामान्य संचय में 3.00 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने CARE से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी को इसकी दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए CARE द्वारा 'CARE BB+; स्थिर' रेटिंग दी गई है। इसी तरह, इसकी अल्पकालिक बैंक सुविधाओं के लिए कंपनी को CARE द्वारा 'CARE A4+' रेटिंग दी गई है।

रेटिंग को लंबे ट्रैक रिकॉर्ड और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ स्थापित संचालन से मजबूती मिलती रहती है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री सुधीर कुमार शर्मा, आईएएस, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 24.05.2023 से अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है तथा श्री शिवप्रसाद नकाते, आईएएस, प्रबंध निदेशक, रीको 24.05.2023 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से मुक्त हो गए हैं।

श्री शिवप्रसाद नकाते, आईएएस, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 27.02.2024 से अध्यक्ष एवं निदेशक नियुक्त किया गया है तथा श्री सुधीर कुमार शर्मा, आईएएस, प्रबंध निदेशक, रीको 27.02.2024 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से मुक्त हो गए हैं।

डॉ. पी.एन. शर्मा, जीएम, रील को 01.08.2024 से 31.10.2024 तक या अगले आदेश तक कंपनी के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 10.04.2023 से नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अंजू गोयल, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 20.03.2024 से कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री मनीष शुक्ला, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) 20.03.2024 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक श्री सुधीर कुमार शर्मा तथा निदेशक श्री मनीष शुक्ला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं तथा सलाह एवं मार्गदर्शन की गहरी सराहना करता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों श्री राकेश चौपड़ा, प्रबन्ध निदेशक, श्री सुभाष अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अमित कुमार जैन, कंपनी सचिव हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के

अनुसार स्वतंत्रता घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे उपधारा (6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कॉर्पोरेट पुरस्कार/सम्मान और दूरदर्शिता

प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए संगठन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते;

- नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को बनाए रखने और व्यवसाय, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कौशल विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में उत्कृष्टता के लिए एंपलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा 'उत्कृष्टता प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया।
- रील के एमडी श्री राकेश चोपड़ा को पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
- राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा 2 फरवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में आयोजित "भारत सोलर एक्सपो 2024" में भागीदारी।
- कंपनी ने 4–6 मार्च, 2024 के दौरान हैदराबाद (तेलंगाना) के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में 50वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया।
- डीएनवी के साथ रील के 25 वर्षीय सहयोग की स्मृति में डीएनवी के प्रमुख लेखा परीक्षक द्वारा एमडी, रील को एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता

रील अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रदर्शन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, नवाचार और टीम वर्क के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि होती है। रील ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित और बनाए रखी है।

उत्पादन

कंपनी ने पिछले वर्ष 9955 की तुलना में 10535 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर और 4.73 मेगावाट के मुकाबले 9.01 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उत्पादन किया है।

सहायता इकाइयों और एमएसई का विकास

रील अपनी नीति के तहत सहायक उद्योगों के विकास पर जोर देती है और उनकी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उनके साथ निकट संपर्क में है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार और बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद मिलती है। रील एमएसएमई से कच्चे माल तथा घटकों की अपनी आवश्यकता को पूरा कर रही है।

रील एमएसएमई द्वारा समय–समय पर आयोजित वेंडर विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर नियमित रूप से सहायक उद्योगों का विकास कर रही है। वर्ष 2023–2024 के दौरान एमएसएमई से 58.77 करोड़ रुपये की खरीद की गई। कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का लगभग 57.30% हिस्सा GeM पोर्टल के माध्यम से खरीदा है।

वार्षिक रिर्टन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न, धारा 134(3)(ए) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इस रिपोर्ट में अनुलग्नक–ए के रूप में शामिल किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्कताओं के अनुरुप एक लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति लागू की है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित हैः

1. प्राप्त शिकायतों की संख्याः शून्य

2. निपटाई गई शिकायतों की संख्याः शून्य

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3)(एम) के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ विवरण निम्नानुसार हैं:

अ. सतत विकास और ऊर्जा संरक्षण

रील में ऊर्जा संरक्षण हमारी सतत उपभोग रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो केवल लागत में कमी से आगे तक फैला हुआ है। यह देश के ऊर्जा भंडार को संरक्षित करने और हमारे संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न उपायों को लागू करके, हमारा लक्ष्य अपने ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करना और अधिक सतत भविष्य में योगदान देना है।

कंपनी ऊर्जा की बर्बादी को कम करने और खपत को अनुकूलित करने के लिए अभिनव उपायों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कंपनी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं वाली एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में होने के नाते, स्थिरता संगठन की संस्कृति में अंतर्निहित है, जिसका उद्देश्य कंपनी के हितों को उसके हितधारकों के हितों के साथ संरेखित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रियाएं अनुमेय सीमा के भीतर चल रही हैं, प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरणीय मापदंडों का आवधिक परीक्षण किया जाता है।

परियोजनाएं और प्रभाव

बिजली और ईंधन इनपुट की उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण पहल की निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान किए गए कुछ ऊर्जा संरक्षण उपायों में शामिल हैं :

- ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना;
- ऊर्जा के उपयोग को कम करने की क्षमता की पहचान करना, रिसाव को रोकना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, ऊर्जा के बेकार उपयोग की पहचान करना तथा उन्हें रोकना तथा ऊर्जा मापन प्रणाली का उपयोग करना।

ब. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास भविष्य में विकास को प्राप्त करने और बाजार में एक प्रासंगिक उत्पाद को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह संगठनात्मक विकास और निरंतर बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां बाजार की जरूरतों को तकनीकी विशिष्टताओं में परिवर्तित करने, एक नया प्रोटोटाइप विकसित करने, प्रोटोटाइप का फील्ड ट्रायल, विनियामक विपणन और उत्पाद विकास गतिविधियां जैसे दस्तावेजीकरण और उत्पाद की अंतिम लॉन्चिंग के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती हैं। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार भी शामिल है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां कंपनी के लाभ को अधिकतम करने के लिए पेटेंट और गैर–प्रकटीकरण समझौतों के अपने मालिकाना अधिकारों की भी रक्षा करती हैं। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, उत्पादकता में सुधार के लिए संगठन के विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, संगठन के अन्य भागों से अलग है और नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकी–आधारित उपकरणों और कुशल जनशक्ति से सुसज्जित है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ पंजीकृत है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास, मुख्य रूप से कृषि डेयरी और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है ताकि प्रक्रिया नवाचार के माध्यम से ग्रामीण जनता को समाधान प्रदान किया जा सके।

अनुसंधान एवं विकास द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां में शामिल हैं;

अ) एसएमडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल (EWS) का डिजाइन और विकास

इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने वाला स्केल एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डेयरी ग्राम समितियों में एकत्रित दूध के वजन को मापने के लिए किया जाता है। यह DPMCU प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। शुरू में डिजाइन और विकसित EWS थ्रू होल घटकों पर आधारित था और इसकी लागत भी बहुत अधिक थी। लागत को कम करने, अधिक सुविधाओं को एकीकृत करने और EWS का इनहाउस निर्माण शुरू करने के लिए, SMD आधारित EWS डिजाइन का डिजाइन और विकास किया गया है।

ब) डिजिटल स्टिरर का डिजाइन और विकास

डिजिटल अल्ट्रासोनिक स्टिरर परीक्षण से पहले दूध के नमूनों को हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे दूध निकालने के दौरान स्वाभाविक रूप से होने वाले सूक्ष्म वायु बुलबुले समाप्त हो जाते हैं। यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि सिद्धांतों पर निर्भर दूध विश्लेषकों में सटीक और विश्वसनीय रीडिंग सुनिश्चित करता है।

उभरती बाजार मांग के अनुरूप, कंपनी ने पारंपरिक एनालॉग रीडिंग–आधारित अल्ट्रासोनिक स्टिरर से नवीन डिजिटल अल्ट्रासोनिक स्टिरर में बदलाव किया है। एनालॉग समकक्षों के विपरीत, डिजिटल अल्ट्रासोनिक स्टिरर में दूध के नमूने को हिलाने के समय के लिए एक डिजिटल संकेत प्रणाली शामिल है। यह सुविधा न केवल सटीकता सुनिश्चित करती है बल्कि उपयोगकर्ताओं को इष्टतम परिणामों के लिए हिलाने का समय निर्धारित करने और निगरानी करने की भी अनुमति देती है। अल्ट्रासोनिक स्टिरर का डिजिटल इंटरफेस उपयोगकर्ता–मित्रता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ऑपरेटर आसानी से हिलाने का समय निर्धारित और निगरानी कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सहज और कुशल हो जाती है।

स) 240 x 128 GLCD पर आधारित ADPU का डिजाइन और विकास

उन्नत डेटा प्रोसेस यूनिट (ADV-DPU), एक समर्पित इकाई है, जो बाह्य उपकरणों से डेटा प्राप्त करती है, प्रोसेस करती है और डेटा को केंद्रीय सर्वर तक पहुंचाती है। यह सीरियल केबल या ब्लूटूथ इंटरफेस के माध्यम से डेयरी बाह्य उपकरणों जैसे मिल्क एनालाइजर, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल और रिमोट डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर आदि के साथ संचार करता है।

द) डीपीयू के साथ एनालाइजर-स्टिरर :

आवश्यकता के अनुसार डीपीयू के साथ ऑल–इन–वन एनालाइजर–स्टिरर का डिजाइन और विकास किया गया है। एसएस का एक कैबिनेट डिजाइन किया गया है जिसमें सभी घटक और पीसीबी शामिल हैं। सभी घटक, पीसीबी, मोटर असेंबली, डिस्प्ले, कीपैड आदि को कैबिनेट में एकीकृत किया गया है। प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया है और यह परीक्षण चरण में है।

उत्पाद उन्नयन

1. ADPU PCB डिजाइन अपडेट
2. EC200U पर आधारित 4G मॉडेम
3. ADPU के लिए वैकल्पिक BLE डिजाइन और विकास
4. ADPU में उन्नत सुविधाओं का एकीकरण
5. BMC डेटा–लॉगर डिजाइन उन्नयन
6. कंपनी के आइट्मस का बारकोड कार्यान्वयन
7. BMC डेटा–लॉगर ट्रायल उत्पादन

इंजीनियरिंग और दस्तावेजीकरण

उत्पाद दस्तावेजीकरण निर्माण और संचालन में स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र दस्तावेज संग्रह का प्रबंधन करता है और जरूरत के आधार पर विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त के अलावा, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जैसे री–इंजीनियरिंग, वैकल्पिक स्रोतों के विकास के माध्यम से लागत अनुकूलन, कंपनी की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा आदि भी अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा की जाती है। आरएंडडी डेवलपर्स के संदर्भ के लिए तकनीकी पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानकों आदि की एक लाइब्रेरी भी संधारित कर रहा है।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड.डी) पर व्यय निम्नानुसार हैः

	(लाख रुपये में)
(अ) पूंजीगत	0.00
(ब) आयगत	336.09
(स) कुल	336.09

(द) कुल कारोबार के प्रतिशत के रुप में अनुसंधान एवं विकास व्यय 1.78% रहा।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा में 6555 लाख रुपये की राशि अर्जित की है। कंपनी ने 416 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा का भी उपयोग किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 के लिये

प्रशासन किसी कंपनी के बोर्ड और प्रबंधन की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाता है। वर्षों से, रील एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे के भीतर काम करता है, जो शासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रील कॉर्पोरेट प्रशासन की बुनियादी और विनियामक आवश्यकताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज का विश्वास बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है। रील का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के आधार पर टिका हुआ है।

कंपनी ने कानूनी, नैतिक और स्थायी आधार पर शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रथाओं, मानकों और संसाधनों को बढ़ावा दिया है, साथ ही ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, नियामकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

कंपनी का प्रशासन ढांचा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और प्रशासन सहित कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों का समय पर और सटीक प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है;
- कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास एवं एकीकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है;
- प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च स्तर;
- लोगों और पर्यावरण के प्रति सहानुभूति के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति;
- कंपनी के संचालन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण कानूनी और विनियामक अनुपालन;
- सभी हितधारकों – शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, समाज और आंतरिक नियंत्रण के लिए मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रति दायित्वों की पहचान।

कंपनी इस तरह से व्यवसाय करने में विश्वास करती है जो कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता का अनुपालन करता है, प्रत्येक मुख्य मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा रील शेयरधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर प्रदान करने, आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की प्रगति और समाज की समृद्धि में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है।

आपकी कंपनी का बोर्ड कंपनी के विजन और मिशन से अनुरुप ध्येय और लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास करता है – "डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यावसायिक क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अग्रणीय बनना, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में महत्वपूर्ण रोल अदा करना और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और कौशल विकास के

संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी बनना" और ''ग्राहकों की मौजूदा और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करना और गुणवत्ता वाले उत्पादों और भरोसेमंद बिक्री पश्चात सेवा के विकास/विपणन और वितरण के माध्यम से उनकी सेवा करना''।

बोर्ड एवं समितियां :

अ) निदेशक मंडल :

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की कंपनी है। निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर–कार्यकारी निदेशकों का संयोजन होता है। 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड में 5 निदेशक थे, जिनमें एक प्रबन्ध निदेशक और चार गैर–कार्यकारी निदेशक (एक स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल थे। वर्ष के दौरान, चार बोर्ड बैठकें क्रमशः 19 जून, 2023, 14 अगस्त, 2023, 12 दिसंबर, 2023 और 20 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं।

31.03.2024 तक बोर्ड की सरंचना का विवरण, बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड, साथ ही अन्य में कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पद, समिति अध्यक्ष पद और सदस्यता की संख्या निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	श्रेणी	कितनी बैठक में भाग लिया	क्या 22.09.2023 को अंतिम एजीएम में भाग लिया	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकों की संख्या	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समितियों पदों की संख्या	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्री शिवप्रसाद नकाते	अध्यक्ष (पार्ट टाईम) (27.02.2024 से)	1	लागू नहीं	9	5	--
श्री सुधीर कुमार शर्मा	अध्यक्ष (पार्ट टाईम) (27.02.2024 तक)	3	उपस्थित	लागू नहीं	--	--
श्री राकेश चौपड़ा	प्रबन्ध निदेशक	4	उपस्थित	शून्य	--	--
सुश्री मुक्ता शेखर	निदेशक (पार्ट टाईम) (10.04.2023 से)	4	उपस्थित नहीं	8	--	--
श्री मनीष शुक्ला	निदेशक (पार्ट टाईम) (19.03.2024 तक)	2	उपस्थित	2	--	--
श्रीमती अंजू गोयल	निदेशक (पार्ट टाईम) (20.03.2024 से)	1	लागू नहीं	1	--	--
डॉ. रेणुका मिश्रा	निदेशक (पार्ट टाईम) (10.04.2023 तक)	0	लागू नहीं	शून्य	--	--
श्री दिनेश कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	3	उपस्थित	शून्य	--	--

ब) बोर्ड प्रक्रिया :

एक अच्छे प्रशासन अभ्यास के रूप में और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित होने वाली बोर्ड बैठकों की एक अस्थायी कार्यक्रम को अग्रिम रूप से अनुमोदित करता है, जिसमें लागू कानूनों के तहत न्यूनतम बैठकों की संख्या और दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। बोर्ड की कार्यसूची निदेशकों को पहले ही भेज दिया जाता है। बोर्ड की कार्यसूची में बोर्ड मीटिंग पत्र कार्यवाइयां और उनकी स्थिति अपडेट से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट शामिल होती है। बोर्ड नियमित अंतराल पर बैठक करके व्यावसायिक रणनीतियों/ नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेता है तथा कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के अनुसार वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि निदेशकों को बैठकों में सुविधाजनक रूप से भाग लेने में सुविधा हो।

स) बोर्ड की जिम्मेदारियां :

बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय कंपनी के प्रबंधन को नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन, उद्देश्य और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण का पालन करे जो अंततः कंपनी के उद्देश्यों और सतत लाभदायक विकास को प्राप्त करने के साथ–साथ अपने सभी हितधारकों के दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है।

द) लेखापरीक्षा समिति :

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी संरचना, कोरम, शक्तियां, भूमिका और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, चार लेखापरीक्षा समिति बैठकें 19 जून, 2023, 10 अगस्त, 2023, 12 दिसंबर, 2023 और 20 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थीः

निदेशक का नाम	श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
श्री डी. के. शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	4
श्री राकेश चौपड़ा	प्रबन्ध निदेशक	4
श्री मनीश शुक्ला	निदेशक (पार्ट टाईम)	3

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
3. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;
   ii. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
   iii. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
5. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
6. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

य) निदेशकों की अन्य समितियां :

बोर्ड ने निदेशकों की समितियों का गठन किया है तथा विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में उन्हें शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी हैं। समितियां जैसे नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, एसडी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, नैतिकता समिति और संचालन समिति में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी बैठकें विधिवत आयोजित की गई हैं। कंपनी की एक व्हिस्ल ब्लोअर नीति है जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है।

प्रबंधन विश्लेषण और चर्चा

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण व्यक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ सलंग्न है।

मानव संसाधन प्रबंधन

बदलते परिवेश के अनुरुप बने रहने, संगठनात्मक चपलता को बढ़ाने तथा समय–समय पर बदलते नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओ में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तित और विकास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 182 है।

प्रशिक्षण एवं विकास

प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम कंपनी के अभिन्न अंग हैं, जो अपने कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने पर जोर देते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को गुणवत्ता, उत्पादकता बढ़ाने और अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तकनीकी और व्यवहारिक कौशल दोनों हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे बदलती प्रौद्योगिकियों और कौशल से अवगत रहते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में, कंपनी ने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए कुल 81 मानव–दिवसों का प्रशिक्षण आयोजित किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें खरीद में सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संगठन की प्रणाली और प्रक्रियाएं, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सतर्कता पाठ्यक्रम, निवारक सतर्कता, संयुक्त औचक जांच, विभागीय जांच आदि सीपीएसई द्वारा खरीद पर कार्यशालाएं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, जीईएम के माध्यम से सीपीएसई द्वारा खरीद पर इंटरैक्टिव कार्यशाला, आपदा प्रबंधन, जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर वेबिनार/सेमिनार, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, नैतिकता और शासन और आधिकारिक भाषा नीति और नियमों और उपयोग में सामान्य गलतियों पर प्रशिक्षण शामिल थे।

हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार

कंपनी राजभाषा नीति के प्रचार–प्रसार और सफल क्रियान्वयन के लिए निरंतर जोरदार प्रयास कर रही है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति नियमित रूप से प्रगति की निगरानी और समीक्षा करती है। राजभाषा का ज्ञान विकसित करने के लिए हिंदी टाइपिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित किया गया है। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और प्रोत्साहन घोषित किए गए। गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान नराकास, जयपुर द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए, इसने सीएसआर को अपने लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी हर वर्ष कई सीएसआर परियोजनाओं पर कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की आवश्यकता के अनुसार सीएसआर निधियों की अनुपलब्धता के कारण कोई भी सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है और अपनी वेबसाइट पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन सूचना

अधिकारी (एपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी के नाम जैसे विवरण डाले हैं।

जमा राशि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाले लोगों से जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

अन्य सूचना

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआः

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के रुप में अंतर अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का निर्गम ।
2. किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) जारी करना।

निदेशकों के दायित्व का व्यक्तव्य

अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक मंडल अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार पुष्टि करता है किः

I. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा को तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

II. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

III. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

IV. वार्षिक लेखे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सतत् संस्थान ('चालू समुत्थान') के आधार पर तैयार किए गए हैं;

V. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रुप से काम कर रहे हैं; तथा

VI. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रुप से कार्य कर रही हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वाई चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, जयपुर को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के खातों पर योग्य रिपोर्ट दी है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया अनुलग्नक–ब के अनुसार है। सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिए गए मामले पर जोर दिया गया है। बिंदु (ए) (बी) के संबंध में योग्य राय के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की दिनांक 06.09.2024 की रिपोर्ट का अनुलग्नक–3 स्व–व्याख्यात्मक है और इसमें किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई है। इस रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा और टिप्पणियाँ शामिल हैं।

लागत लेखा परीक्षक

समय–समय पर संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 148 की आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी कंपनी को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है और तदनुसार, ऐसे खाते तैयार किए गए हैं और विभाग से संबंधित रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कंपनी की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के पास दाखिल की गई थी। मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक थे।

निदेशक मंडल ने वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, जयपुर को लागत लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के संदर्भ में कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का ऐसा कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं था, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ अधिनियम की धारा 197(12) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, इसलिए सूचना को शून्य माना जाए।

प्रशंसा और आभार

आपके निदेशक भारत सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों को व्यापार करने में आसानी के लिए उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रुप से भारी उद्योग मंत्रालय और रीको के प्रबंधन से उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक इसके ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, वितरकों, चैनल भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंकरों को उनके निरंतर समर्थन और कंपनी में विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के प्रति अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए गहरी सराहना करना चाहते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित

(अध्यक्ष)

दिनांक : 30.10.2024

स्थान : जयपुर

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अ) कॉर्पोरेट अवलोकन

इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और आईटी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रील डेयरी उद्योग क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में दूध के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है, सोलर फोटो वोल्टाइक, सूचना प्रौद्योगिकी और सुरक्षा निगरानी अनुप्रयोगों के माध्यम से ग्रामीण और संबंधित शहरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। कंपनी ने भू–स्थानिक ड्रोन सर्वेक्षण के क्षेत्र में विविधकरण किया है। रील के उत्पाद ग्रामीण जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 भविष्य की संभावनाओं, परियोजना–केंद्रित संचालन और प्रमुख क्षेत्र में व्यवसाय विविधीकरण के साथ अच्छे ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में सकारात्मक रहा है, जिससे कंपनी की प्रगति के मामले में चालू वित्तीय वर्ष में कड़ी प्रतिस्पर्धी वाले व्यावसायिक परिदृश्य में वृद्धि होगी।

ब) अर्थव्यवस्था समीक्षा

वैश्विक अर्थव्यवस्था और –ष्टिकोण

भू–राजनीतिक संघर्षों के बढ़ने, लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों और मांग में मंदी के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में लचीली बनी रही। उच्च ब्याज दरों ने अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की अवधि की भी आशंका जताई है, जो चालू वर्ष 2023 में पीछे रह गई हैं। जनवरी 2024 के अपने दृष्टिकोण में चालू वर्ष 2023 में 3.1% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाने के बाद, IMF ने अपने अप्रैल 2024 के दृष्टिकोण में अपने अनुमान को बढ़ाकर 3.2% कर दिया है।

हालांकि, कई अर्थव्यवस्थाओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लचीलापन दिखाया। उभरते बाजारों और भारत, मैक्सिको और वियतनाम जैसे विकासशील देशों में मजबूत वृद्धि और विदेशी पूंजी प्रवाह देखा गया। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखलाओं की बाधाओं को दूर करने और प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों में ढील के साथ, वैश्विक मुद्रास्फीति दर चालू वर्ष 2022 में अपने चरम से चालू वर्ष 2023 में 6.82% तक गिर गई। कुछ कम आय वाली और सीमांत अर्थव्यवस्थाओं ने भी बाजार में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन और दृष्टिकोण

एक सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के बावजूद, भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी गति बनाए रखी। इस आर्थिक वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से मजबूत घरेलू खपत और विदेशी आयात पर कम निर्भरता को दिया जा सकता है। जबकि सरकारी पहलों ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश में वृद्धि ने आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को प्रभावी ढंग से कम किया। सरकार का बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर, जैसा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन और औद्योगिक गलियारों जैसी पहलों के माध्यम से स्पष्ट है, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.6% तक पहुंच गया, जबकि चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था।

स) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षता, विश्वसनीयता, लेखा रिकॉर्ड की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधन जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, यह सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुभवी फर्म द्वारा विभिन्न विभागों की नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है।

द) जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट :

अवलोकन

जोखिम सभी व्यवसायों का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। रील की जोखिम प्रबंधन योजना व्यवसाय को सतत विकास प्रदान करने और अपने ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि जोखिमों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिल एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन योजना यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों को कम किया जाए, टाला जाए, बनाए रखा जाए या साझा किया जाए।

जोखिम प्रबंधन हमारे परिचालन ढांचे में अंतर्निहित है और हमारे पास एक अच्छी तरह से परिभाषित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संरचना है। व्यावसायिक जोखिमों को संबोधित करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इससे ऐसे जोखिमों की आवधिक समीक्षा और ऐसे जोखिमों के नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र को कम करने के लिए एक रूपरेखा शामिल है।

जोखिम प्रबंधन अमलः प्रमुख जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है।

- जोखिम की पहचान और आकलन
- जोखिम मूल्यांकन
- जोखिम रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण
- जोखिम कमी और निगरानी
- रणनीति और व्यवसाय योजना के साथ एकीकरण

जोखिमों को निदेशक मंडल, प्रबन्ध निदेशक और संबंधित विभागों के प्रमुख द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

य) विश्लेषण और समीक्षा

कंपनी अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से डेयरी उद्योग में प्रमुख स्थान रखती है, जिसमें उत्पादों की शीघ्र डिलीवरी और बिक्री के बाद सहायता सुनिश्चित करना शामिल है। व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा, विभाग का ध्यान अपने सम्मानित ग्राहकों को संतुष्ट करने पर रहा है। विभाग गांव स्तर/गांवों में दूध संग्रह केंद्र पर सटीक और विश्वसनीय परीक्षण उपकरणों की तैनाती और पूरे देश में रणनीतिक रूप से जनशक्ति की तैनाती के माध्यम से अपने ग्राहकों को लगातार सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर आधारित ''दुग्ध संकलन साथी'' मोबाइल ऐप और देश भर के दूध संघों में दूध संग्रह और दैनिक लेनदेन के प्रबंधन के लिए ''सिमकोस'' शुरू करके सरकार के ''डिजिटल इंडिया'' मिशन में योगदान दिया है और इसमें मुख्य रूप से मिल्कफेड–पंजाब, अजमेर डेयरी–राजस्थान, पशुपालन विभाग–राजस्थान और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की विभिन्न दूध संग्रह समितियां शामिल हैं ताकि दूध उत्पादकों के बीच उनके दूध संग्रह और भुगतान चक्र के बारे में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 80.96 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया और लगभग 7429 दूध विश्लेषक और स्वचालन समाधान तैनात किए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर (ईएमटी), इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडेल्ट्रेशन टेस्टर (ईएमएटी–एडवांस), मिल्क एनेलाइजर, ऑटो–ईएमटी, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू), एडवांस डीपीयू आधारित एमसीयू, एसपीवी आधारित एडवांस डीपीयू एमसीयू, इंटीग्रेटिड मिल्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा, दूध समितियों के लिए सौर ऊर्जा पैक आदि शामिल हैं।

इस वर्ष के दौरान, अक्षय ऊर्जा विभाग में, कंपनी ने विभिन्न सीपीएसई और विभागों के लिए परियोजनाएं निष्पादित की हैं, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसईडब्ल्यूए टीएचडीसी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, वन विभाग, वाटर शेड, पीएचईडी विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान, न्यायालय और निजी मॉड्यूल सेल आदि।

वर्ष के दौरान, कंपनी को राजस्थान के विभिन्न न्यायालय परिसरों में कुल 860 किलोवॉट ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट की क्षमता का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और 31 न्यायालय परिसरों में 790 किलोवॉट का ऑर्डर निष्पादित किया गया है।

कंपनी ने वन विभाग, वाटर शेड और पीएचईडी विभाग, उत्कृष्टता केंद्र और पंपों के लिए एमपीलैड कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान में 2 एचपी/3 एचपी/5 एचपी/7.5 एचपी/ 10 एचपी/ 20 एचपी एसपीवी जल पंपिंग सिस्टम के 131 ऑर्डर भी प्राप्त किए और निष्पादित किए हैं।

कंपनी ने देश भर में विभिन्न सीपीएसई की सीएसआर पहलों के तहत एसपीवी आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, एसपीवी पावर प्लांट, एसपीवी वाटर पंपिंग सिस्टम, एसपीवी आधारित स्मार्ट क्लासरूम (नए) आदि जैसे विभिन्न हरित समाधानों को लागू किया है, जिससे वर्ष के दौरान 13.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

डेयरी क्षेत्र में आईटी पहल के तहत, कंपनी को पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार से रील द्वारा डिजाइन किए गए मौजूदा पशुऔषध (IOMMS) सॉफ्टवेयर में एकीकृत ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) प्रणाली के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है। एकीकृत ऑनलाइन MPR प्रणाली विभाग को सभी विभागों को पूर्ण MIS प्रदान करेगी, जिससे मासिक आधार पर समग्र गतिविधियों की प्रगति का पता लगाना आसान हो जाएगा।

अनुलग्नक–अ

फार्म नंबर एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

I. सी.आई.एन	U51395RJ1981GOI002249
II. पंजीकरण दिनांक	12 जून, 1981
III. कंपनी का नाम	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
IV. कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम / शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
V. क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां / नहीं	नहीं
VI. रजिस्ट्रार का नाम, पता और संपर्क विवरण और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

क्र.स.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी.कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	डेयरी दूध टेस्टिंग उपकरण	2651 - मापने, टेस्टिंग, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरणों के निर्माता	43.55%
2.	सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स सिस्टमस्	3510- विद्युत ऊर्जा, ट्रांसमीशिन और वितरण	56.45%

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार–सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

III. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.स.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू सेक्शन
1.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणी वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01-04-2023 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31-03-2024 को)				वर्ष के दौरान बदलाव का %
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
अ) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
ब) केंद्रीय सरकार	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	0.00
स) राज्य सरकार									
द) निगम	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	0.00
य) बैंक/वित्तीय संस्थान									
र) अन्य कोई.....									
उप योग (अ) (1) :–	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
(2) विदेशी									
अ) एनआरई–व्यक्ति									
ब) अन्य व्यक्ति									
स) निगम									
द) बैंक/वित्तीय संस्थान									
य) अन्य कोई									
उप योग (अ) (2) :–	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग (अ) = (अ)(1) + (अ) (2)	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
ब. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
अ) म्यूचुअल फंड्स									
ब) बैंक/वित्तीय संस्थान									
स) केंद्रीय सरकार									
द) राज्य सरकार									
य) वेंचर कैपिटल फंड									
र) बीमा कंपनियां									
व) एफआईआई									
ल) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
ह) अन्य (लिखें)									
उप योग (ब) (1) :–	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00

2. गैर-संस्थान अ) निकाय निगम i) भारतीय ii) प्रवासी ब) व्यक्तिगत i) 1 लाख रूपये तक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रूपये तक से अधिक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक स) अन्य उप योग (ब)(2) :–	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ब) = (ब)(1)+(ब)(2)	लागू नहीं	0	0	0.00	लागू नहीं	0	0	0.00	0.00
स. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्ष द्वारा धारित शेयर	**लागू नहीं**	**0**	**0**	**0.00**	**लागू नहीं**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
कुल योग (अ+ब+स)	लागू नहीं	**12250000**	**12250000**	**100%**	लागू नहीं	**12250000**	**12250000**	**100%**	**0.00**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.स.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2023 को)**			**वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2024 को)**			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %**	
1.	भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	-	6247500	51	-	-
2.	रीको	6002500	49	-	6002500	49	-	-
	कुल	**12250000**	**100**	**-**	**12250000**	**100**	**-**	**-**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में 31 मार्च, 2024 तक परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2023 को)		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01-04-2023 से 31-03-2024 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	31.03.2024	कोई परिवर्तन नहीं		6247500	51
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	6002500	49	31.03.2024	कोई परिवर्तन नहीं		6002500	49

(iv) शीर्ष दस शेयरधारक के शेयरधारित पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में	कुछ नहीं			
वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी, आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि / कमी				
वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान वियोजित होने पर वियोजित होने की तिथि से)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

प्रत्येक निदेशकों के लिए और केएमपी	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	कुछ नहीं			
वर्ष के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि / कमी का कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी, आदि)				
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्सता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्सता

(रु. लाखों में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	गैर-प्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्सता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्सता में बदलाव				
• वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

अ. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिकः

(रु. लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक का नाम
		श्री राकेश चौपड़ा
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	42.19 -
2.	स्टॉक ऑप्शन	-
3.	स्वेट इक्विटी	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रुप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	-
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन	3.63
	कुल (अ)	46.67

ब. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः

(रु. लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम
		श्री दिनेश के शर्मा
1.	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0.60
	कुल (1)	**0.60**
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	कुल (2)	**शून्य**
	कुल (ब) = (1+2)	0.60
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**0.60**

स. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, प्रबन्ध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा

(रु. लाखों में)

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी.ई.ओ	**सी.एफ.ओ. (श्री सुभाष अग्रवाल)**	**कंपनी सचिव (श्री अमित के. जैन)**	**कुल**
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं	36.75 0.11	13.89 0.22	50.64 0.33
2.	स्टॉक विकल्प		-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी		-	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रुप में – अन्य, निर्दिष्ट करें		-	-	-
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन		3.12	1.24	4.36
	कुल		**39.98**	**15.35**	**55.33**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना/दंड/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
शून्य					

अनुलग्नक-ब

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे उल्लिखित है:

अवलोकन	प्रबंधन की टिप्पणियाँ
अ. <u>फेम-II के अंतर्गत ईवी चार्जर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द करने की सूचना न देना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द करने और माल वापस करने का लेखा–जोखा न रखना</u> कंपनी ने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान माल की वापसी और प्राप्त होने वाली सब्सिडी पर परिणामी प्रभाव का हिसाब नहीं लगाया है। विवरण इस प्रकार है: कंपनी ने यह कार्य एमएचआई की फेम-II योजना के अंतर्गत कंपनी के तैयार किए गए व्यवसाय मॉडल (अर्थात ओएंडएम भागीदार द्वारा निवेश–श्रेणी ए के अंतर्गत ईवी चार्जर लागत पर 30% + प्रस्तावित अग्रिम भुगतान + प्रस्तावित राजस्व साझेदारी) के अनुसार 10 वर्षों के लिए ओएंडएम भागीदार के रूप में मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में पार्टी को 19.36 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की सामग्री बेची। कंपनी ने इस आपूर्ति के लिए 13.32 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान को मान्यता दी और समायोजित किया। कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओए को समाप्त कर दिया; जिस पर मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एसबी सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया। दिनांक 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशानुसार मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने सामग्री कंपनी को सौंप दी है। कनकपुरा स्थित फैक्ट्री में 8.17 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री वापस प्राप्त हो गई है, जबकि 4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में पड़ी बताई गई है और 4.70 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी बताई गई है। चूंकि मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामग्री वापस लौटा दी गई है, और कंपनी ने स्वयं कहा है कि उसने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड के स्थान पर काम करने के लिए नई एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया है, इसलिए कंपनी को पार्टी से माल की वापसी के साथ–साथ इन्वेंट्री, सब्सिडी और व्यय शीर्षों पर परिणामी प्रभाव का भी हिसाब रखना चाहिए था। परिणामस्वरूप: – चालू दायित्व (मैजेंटा पावर खाता) 6.04 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है (जीएसटी सहित बिक्री रिटर्न की राशि सहित)। – बिक्री 18.43 करोड़ रुपये अधिक बताई गई है (मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामग्री की वापसी के संबंध में) – इन्वेंटरी 17.56 करोड़ रुपये (मैजेंटा द्वारा लौटाई गई सामग्री की लागत) कम बताई गई है। – जीएसटी व्यय 0.92 करोड़ रुपये कम बताया गया। – सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को 12.85 करोड़ रुपये (खाते में बकाया राशि) अधिक दर्शाया गया है और चालू दायित्व को 0.47 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है (मैजेंटा के संबंध में मान्यता प्राप्त सब्सिडी और सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के रूप में पहले से दर्शाई गई राशि के बीच का अंतर)। – लाभ 1.79 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है (बिक्री मूल्य और लागत तथा जीएसटी व्यय में अंतर की राशि) इसके अलावा, लगभग 3 वर्षों की देरी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए, मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंट्री के मूल्य में कमी आई होगी, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है और हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा वारंटी अवधि भी इस अवधि तक समाप्त हो चुकी है।	फेम-II योजना के तहत ईवी चार्जर्स की मंजूरी/आवंटन को रद्द करने के मामले पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार से 04.09.2024 को संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी को फेम-II योजना के तहत आवंटित 222 ईवी पीसीएस के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निष्पादन की अनुमति दी गई है। इसलिए, प्रबंधन का मानना है कि आगे लेखांकन समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 14.2 के अनुसार, "समय से पूर्व समाप्ति की स्थिति में, रील को चार्जिंग उपकरण को नष्ट करने तथा चार्जिंग उपकरण को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार होगा"। तदनुसार, माननीय मध्यस्थ ने कंपनी को सामग्री की हिरासत लेने का आदेश दिया और सामग्री की हिरासत बिना मूल्य निर्धारण के कंपनी द्वारा ले ली गई थी क्योंकि माल का शीर्षक अभी भी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों के नाम पर था। इस संबंध में वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7.2 में भी स्थिति का खुलासा किया गया है, जो निम्नानुसार है: "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की फेम-II योजना में 222 ईवीसीएस स्थापित करने के लिए 680 ईवीसीएस हेतु 8.15 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान का उपयोग ई.वी.सी.एस. के चालान की 70% सीमा तक किया जा चुका है, ई.वी.सी.एस. की शेष असमायोजित राशि के लिए 12.85 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने हैं। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टेक्सो चार्जजोन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अपने दायित्व को पूरा करने में समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया गया। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एसबी सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया है। दिनांक 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने हेतु एक आदेश पारित किया। एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशानुसार मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को सामग्री सौंप दी है। चूंकि मध्यस्थ द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है, इसलिए लेखा पुस्तकों में इसका समायोजन नहीं किया गया है।

ब. <u>डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान</u> हमें बताया गया है कि 177.10 करोड़ रुपये के कुल देनदारों में से 77.60 करोड़ रुपये की राशि के देनदार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जो कुल देनदारों का 43.60% है। हमने पाया है कि इनमें से कई खातों में राशि को परिसमाप्त क्षति (एलडी) या संविदात्मक दायित्वों के गैर–निष्पादन के कारण रोक लिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कहा है कि वसूली के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है और विभिन्न कारणों से कंपनी पर एलडी देय नहीं है। कंपनी ने देनदारों द्वारा लगाए गए एल.डी. सहित इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों के बारे में समेकित विवरण नहीं रखा है। कंपनी ने कुछ खातों के मामले में सीएजी निरीक्षण की टिप्पणी के बाद कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजे हैं। 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया 77.60 करोड़ रुपये की राशि के विरूद्ध, 23.28 करोड़ रुपये के संदिग्ध ऋणों के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान पहले ही किया जा चुका है (कंपनी की नीति के अनुसार) तथा 38.45 करोड़ रुपये की राशि लेनदारों को बैक टू बैक आधार पर बकाया बताई गई है, जिससे 15.87 करोड़ रुपये शेष बचते हैं, जिसकी वसूली भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इसके अलावा 31.03.2024 तक डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए कुल प्रावधान 25.30 करोड़ रुपये (5 वर्ष से अधिक अवधि के देनदारों के संबंध में 23.28 करोड़ रुपये सहित) है, जो दर्शाता है कि 5 वर्ष से कम अवधि के बकाया शेष देनदारों के संबंध में केवल 2.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अपर्याप्त है, लेकिन पूर्ण विवरण की कमी और देनदारों से बकाया राशि की वसूली के उचित निर्धारण की कमी के कारण हम इसका परिमाण निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, पूर्ण जानकारी के अभाव और विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त नुकसान के आकलन के अभाव में हम कंपनी के लाभ और हानि/आरक्षित पर इसके प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं कर सकते हैं।	कंपनी ने वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अपनाई जाने वाली सुसंगत लेखांकन नीति के अनुसार डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है। प्रबंधन की राय में, खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि 25.30 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान के अलावा, अधिकांश पुराने बकाया शेष राशि ग्राहकों से प्राप्तियों के साथ–साथ विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों को बैक टू बैक आधार पर देय राशि द्वारा विधिवत कवर की गई है। इस संबंध में कृपया वर्ष 2023–24 के तुलन पत्र के नोट संख्या 32.3(सी) का संदर्भ लें, जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:– "व्यापार देय में 31 मार्च 2024 तक 9593.19 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 9602.02 लाख रुपये) शामिल हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को तभी देय होंगे, जब संबंधित ग्राहकों से भुगतान प्राप्त हो जाएगा।"
स. <u>ईईएसएल–निम्बोनी अतिरिक्त साइट</u> कंपनी ने वर्ष 2019–20 में निंबोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को 4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) में एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति की थी। इसके बाद इस बिक्री से बिक्री रिटर्न के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में 1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का क्रेडिट नोट जारी किया गया। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थान पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। रील को वापस की गई सामग्री (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के अलावा, शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन द्वारा वापस ले ली गई है। इस संबंध में लेखा पुस्तकों में एसपीवी पावर प्लांट की 1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की रिटर्न को छोड़कर कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है। इस परियोजना के संबंध में ईईएसएल से प्राप्त होने वाली बकाया राशि 2.89 करोड़ रुपये है, जो वास्तव में प्राप्य नहीं है और इस प्रकार देनदार को 2.89 करोड़ रुपये अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा मेसर्स पॉवरवन का लेनदार खाता 2.20 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है, जो साइट पर जलाई गई सामग्री के संबंध में है, जिसे पॉवरवन माइक्रोसिस्टम द्वारा वापस ले लिया गया है।	मेसर्स ईईएसएल को अपने जोखिम और लागत पर कार्य आदेश पूरा करने तथा बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया है। चूंकि यह ठेका मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बैक टू बैक भुगतान अवधि के आधार पर निष्पादन के लिए दिया गया था, इसलिए सभी मुद्दों के निपटारे के बाद लेखांकन समायोजन किया जाएगा।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06 सितंबर, 2024 को किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित
(एस. आहलादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 अक्टूबर 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र और लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर,** उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (''इंड एएस'') के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित उसका लाभ।

योग्य राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपना लेखापरीक्षण कार्य किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों की यथावर्णित हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी'' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'आचार संहिता' के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा से संबद्ध हमारी नैतिक आवश्यकताओं के पालन में हम कंपनी की ओर से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गलत विवरण, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों में व्यापक नहीं हैं।

हम आपका ध्यान नीचे निर्दिष्ट मामलों की ओर आकर्षित करते हैं जिनके आधार पर हम वित्तीय विवरणों पर योग्यतापूर्ण राय व्यक्तकर रहे हैं:

अ. <u>FAME-II के अंतर्गत EV चार्जर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द करने की सूचना न देना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द करने और माल वापस करने का लेखा-जोखा न रखना के संदर्भ में</u>

कंपनी ने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान माल की वापसी और प्राप्त होने वाली सब्सिडी पर परिणामी प्रभाव का हिसाब नहीं लगाया है। विवरण इस प्रकार है:

कंपनी ने एमएचआई की फेम-II योजना के तहत अपने तैयार किए गए बिजनेस मॉडल के अनुसार 10 साल के लिए ओ एंड एम पार्टनर के रूप में मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स मैजेंटा) को काम आवंटित किया था (अर्थात ओएंडएम पार्टनर द्वारा निवेश – श्रेणी ए के तहत ईवी चार्जर लागत पर 30%+प्रस्तावित अग्रिम भुगतान+प्रस्तावित राजस्व साझाकरण)। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में पार्टी को 19.36 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की सामग्री बेची। कंपनी ने इस आपूर्ति के लिए 13.32 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान को मान्यता दी और समायोजित किया।

कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा के साथ एमओए समाप्त कर दिया; जिसके बाद मेसर्स मैजेंटा ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एसबी सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर किया। दिनांक 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। एकमात्र मध्यस्थ के निर्देशानुसार मेसर्स मैजेंटा ने सामग्री कंपनी को सौंप दी है। 8.17 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री कनकपुरा स्थित फैक्ट्री में वापस प्राप्त हो गई है, जबकि 4.70 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में तथा 4.70 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी बताई गई है।

चूंकि मेसर्स मैजेंटा द्वारा सामग्री वापस कर दी गई है, तथा कंपनी ने स्वयं कहा है कि वह मेसर्स मैजेंटा के स्थान पर काम करने के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने जा रही है, इसलिए कंपनी को पार्टी से माल की वापसी के साथ–साथ इन्वेंट्री, सब्सिडी और व्यय शीर्षों पर परिणामी प्रभाव का भी हिसाब रखना चाहिए था, लेकिन उसने इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की है। परिणामस्वरूपः

- चालू देनदारियों को 6.04 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया है (सब्सिडी के बाद बिक्री रिटर्न की राशि और जीएसटी सहित)।
- बिक्री को 18.43 करोड़ रुपये अधिक करके दिखाया गया है (मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामग्री की वापसी के संबंध में) ।
- इन्वेंट्री को 17.56 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया है (मेसर्स मैजेंटा द्वारा लौटाई गई सामग्री की लागत)।
- जीएसटी व्यय को 0.92 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया है।
- सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को 12.85 करोड़ रुपये (खाते में बकाया राशि) अधिक दर्शाया गया है और चालू देयता को 0.47 करोड़ रुपये (मैजेंटा के संबंध में मान्यता प्राप्त सब्सिडी और सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के रूप में पहले से ही हिसाब में ली गई राशि के बीच का अंतर) कम दर्शाया गया है।
- लाभ को 1.79 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है (बिक्री रिटर्न और लौटाए गए माल की लागत के अंतर की राशि और बिक्री रिटर्न पर जीएसटी व्यय)

इसके अलावा, लगभग 3 वर्षों की देरी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए, मेसर्स मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंट्री के मूल्य में कमी आई होगी, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है और हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा वारंटी अवधि भी इस अवधि तक समाप्त हो चुकी है।

ब. खराब और संदिग्ध देनदारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान

हमें सूचित किया गया है कि 177.10 करोड़ रुपये के कुल देनदारों में से 77.60 करोड़ रुपये की राशि के देनदार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जो कुल देनदारों का 43.60% है। हमने देखा है कि इनमें से कई खातों में राशि को परिसमाप्त क्षति (एलडी) या संविदात्मक दायित्वों के गैर–प्रदर्शन के कारण रोक लिया गया है।

इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा है कि वसूली के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, लेकिन यह व्यर्थ है और विभिन्न कारणों से कंपनी पर एलडी देय नहीं है। कंपनी ने देनदारों द्वारा लगाए गए एलडी सहित इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों के बारे में समेकित विवरण नहीं रखा है। कंपनी ने कुछ खातों के मामले में सीएंडएजी निरीक्षण द्वारा अवलोकन के बाद कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजे हैं।

5 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया 77.60 करोड़ रुपये की राशि के विरूद्ध 23.28 करोड़ रुपये के संदिग्ध ऋणों के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान पहले ही किया जा चुका है (कंपनी की नीति के अनुसार) तथा 38.45 करोड़ रुपये की राशि के लेनदारों का बकाया बताया गया है, जिससे 15.87 करोड़ रुपये शेष रह जाते हैं, जिनकी वसूली भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

इसके अतिरिक्त 31.03.2024 तक खराब एवं संदिग्ध देनदारों के लिए कुल प्रावधान 25.30 करोड़ रुपये (5 वर्ष से अधिक अवधि के देनदारों के संबंध में 23.28 करोड़ रुपये सहित) है, जो दर्शाता है कि 5 वर्ष से कम अवधि से बकाया शेष देनदारों के संबंध में केवल 2.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान अपर्याप्त है, लेकिन पूर्ण विवरण की कमी और देनदारों से बकाया राशि की वसूली के उचित निर्धारण की कमी के कारण हम इसका परिमाण निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, पूर्ण जानकारी के अभाव और विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त नुकसान के आकलन के अभाव में हम कंपनी के लाभ और हानि/आरक्षित पर इसके प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

स. ईईएसएल–निंबोनी एडिशनल साइट

कंपनी ने वर्ष 2019–20 में निंबोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को 4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) में एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति की थी। इसके बाद इस बिक्री से बिक्री रिटर्न के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में 1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का क्रेडिट नोट जारी किया गया। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थान पर काम शुरू नहीं किया जा सका। रील को वापस की गई सामग्री (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के अलावा, शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन द्वारा वापस ले ली गई है।

इस संबंध में खातों में एसपीवी पावर प्लांट की 1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की वापसी को छोड़कर कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है।

इस परियोजना के संबंध में ईईएसएल से प्राप्त होने वाली बकाया राशि 2.89 करोड़ रुपये है, जो वास्तव में प्राप्य नहीं है और इस प्रकार देनदार को 2.89 करोड़ रुपये अधिक बताए गए हैं।

इसके अलावा मेसर्स पावरवन के लेनदार खाते को 2.20 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है, जो साइट पर जलाई गई सामग्री के संबंध में है और पावरवन माइक्रोसिस्टम द्वारा वापस ले ली गई है।

यद्यपि बिन्दु संख्या (ब) के मामले में योग्यताओं के प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं किया जा सका, लेकिन जैसा कि बिन्दु संख्या (अ) और (स) में उल्लेख किया गया है, राजस्व

18.43 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है और व्यय 1.79 करोड़ रुपये कम बताया गया है। इसी प्रकार चालू परिसंपत्तियों को 1.82 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है तथा चालू दायित्वों को 4.31 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।

विषय पर बल

इस संबंध में अपनी राय स्पष्ट किए बिना हम आपका ध्यान नीचे निर्दिष्ट मामलों की ओर आकर्षित करते हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये वित्तीय विवरणों की उपयोगकर्ता की समझ के लिए मौलिक हैं।

(अ) नोट नं. 7.1 और 19बी जिसमें व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के शेष की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे शेष की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव (जो प्रबंधन के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं होगा), यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।

(ब) नोट संख्या 8.1 में उल्लिखित कारणों के मद्देनजर लेखा पुस्तकों में 21.09 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है, जिसकी वसूली प्रबंधन द्वारा प्रत्याशित/अनुमानित भविष्य में पर्याप्त लाभ के सृजन पर निर्भर करेगी।

(स) नोट नं.32.3(सी) व्यापार देयताओं के संबंध में, जिसमें ठेकेदार को देय 95.93 करोड़ रुपये शामिल हैं, जब भुगतान ग्राहकों से प्राप्त होता है।

(द) नोट संख्या 20.1.2, एमएसएमई विक्रेता (मेसर्स गन सन ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा 14.75 लाख रुपये की राशि पर ब्याज दावे की आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण न करने के संबंध में है, क्योंकि ब्याज की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(य) नोट संख्या 10.2, बिक्री प्रतिवर्तन के संबंध में इन्वेंट्री को 56 लाख रुपये तक कम करने के संबंध में, वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में की गई बिक्री के संबंध में 19223400/– रुपये की राशि के सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम की बिक्री रिटर्न बुक की है। सामग्री में बैटरी शामिल थी जो डिस्चार्ज हो गई थी और इस प्रकार उनका मूल्य 56 लाख रुपये (लागत का 80%) कम हो गया है। 800 स्ट्रीट लाइट सिस्टम की अन्य सामग्री की गुणवत्ता जांच भी लंबित थी और हम इसके मूल्य में किसी भी तरह की कमी पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा 17.10 लाख रुपये के जीएसटी का नुकसान हुआ है क्योंकि 4 साल बाद बिक्री रिटर्न पर जीएसटी को कंपनी की जीएसटी देयता से समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि कंपनी ने 4 साल बाद बिक्री रिटर्न स्वीकार किया है जो दर्शाता है कि बिक्री रिटर्न स्वीकार करने के संबंध में कोई नीति नहीं है।

(ह) सरकार ने दिनांक 31/07/2023 के पत्र द्वारा चार्जर चालू न होने के कारण फेम-II योजना के अंतर्गत ई.वी.सी.एस. की स्वीकृति/आवंटन निरस्त कर दिया था तथा कम्पनी को 8,15,08,000/– रूपये की सब्सिडी राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए थे। यद्यपि अब कम्पनी के विभिन्न अभ्यावेदनों के पश्चात सरकार ने दिनांक 04/09/2024 को पत्र जारी कर कहा है कि रील 31/03/2025 तक 222 ई.वी.सी.एस. का निष्पादन पूर्ण कर ले तथा शेष सब्सिडी फेम-II योजना के अनुसार जारी की जाएगी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इस पर अपनी राय बनाने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने उन मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित नहीं किया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख पर, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक)

नियम, 2015 संशोधित रुप में और भारत में आम तौर पर स्वीकृत किए गए लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय का अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रुप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन का है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसएएस) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते है। हम यह भी करते हैं:

i) वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली साम्रगी के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

ii) परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

iii) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

iv) लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार के निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

v) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और भौतिकता का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन

करने में (2) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल है, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह व्यक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार हम "**अनुलग्नक 1**" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने विचार किया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर **''अनुलग्नक 2''** में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (अ) हमने वह सभी जानकारी व स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
   (ब) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
   (स) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण, ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।
   (द) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप हैं, जिसे संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए।
   (य) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।
   (र) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, कृपया "**अनुलग्नक 3**" में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।
4. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाआँ के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

   कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
5. कंपनी (लेखापरीक्षा व लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
   i. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित कार्यवाही के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट नं. 20.1 (बी), (सी),(डी) और नोट 35 (जी) देखें।
   ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत अपेक्षित, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए प्रावधान किया है।
   iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
   iv. (अ) निदेशक मंडल ने यह प्रतिवेदन किया है कि, अपने

सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में उल्लिखित विवरणों के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (''आंतरिक संस्थाएं'') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, मध्यस्थ, कंपनी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या परम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

(ब) निदेशक मंडल ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में दिए गए नोट्स में प्रकट किए गए विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, अंतिम लाभार्थियों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी; तथा

(स) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–धारा (ए) और (बी) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है;

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही कोई भुगतान किया है।

vi. चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्राधान 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी के लिए लागू हैं, इसलिए इसके तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा (इन्वेंट्री और एचआर के लिए सॉफ्टवेयर को छोड़कर) रिकॉर्ड करने की सुविधा है; हालांकि इसे पूरे वर्ष के दौरान संचालित नहीं किया गया है। लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल्स का कार्य 31 मार्च 2024 से सक्षम किया गया था। इन्वेंट्री और एचआर सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल को लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा ऑडिट ट्रेल में उस उपयोगकर्ता का विवरण शामिल नहीं है जिसने प्रविष्टि की थी। चूंकि ऑडिट ट्रेल को पूरे वर्ष बनाए नहीं रखा गया था, इसलिए हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते कि ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या नहीं।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृतेः वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 001912C)

हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 071893
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का संदर्भित अनुलग्नक '1'
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर समदिनांक तक,
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए
(हमारी ऑडिट रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' अनुभाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(अ) (अ) कंपनी ने आम तौर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) कंपनी ने आम तौर पर अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ब) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(स) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा टाइटल डीड की प्रति की हमारी जांच के आधार पर वित्तीय विवरणों में बताई गई अचल संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं। हालांकि मूल टाइटल डीड कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के विरुद्ध बैंक के पास पड़ी बताई गई है।

(द) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(य) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, यथा संशोधित तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कोई लंबित कार्यवाही नहीं है।

(ii) इन्वेंट्री के संबंध में:

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंक से 25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे बैंक के पास आवश्यक तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल किया गया है।

(iii) ऋण के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षों को ऋण के रूप में निवेश नहीं किया है और न ही अग्रिम राशि दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों या सीमित देयता भागीदारी और अन्य पक्षों को ऋण के रुप में कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की हैं, ऋण और अग्रिम राशि नहीं दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैय

(अ) (अ) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ब) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य पक्ष या कर्मचारियों को ऋण के रूप में अग्रिम राशि नहीं दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ब) कंपनी ने आदेश के खंड (iii) (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के प्रावधानों के संबंध में निवेश नहीं किया है, के

प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का सभी भौतिक पहलुओं में अनुपालन किया गया है।

(v) प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों से 111268865/– रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो 365 दिनों से अधिक समय से बकाया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(सी) के अनुसार ऐसे अग्रिमों को जमा माना जाता है।

(vi) लागत रिकॉर्ड के संबंध में :

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा रखी गई खाता बहियां, विद्युत वस्तुओं और विद्युत मशीनरी के विनिर्माण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं। हम हमें दी गई जानकारी और पिछले वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट कर रहे हैं।

(vii) सांविधिक बकाया के संबंध में :

अ. कंपनी आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और कंपनी पर लागू लेखा पुस्तकों में दर्ज कोई अन्य वैधानिक बकाया शामिल है। इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी सिवाय निम्नलिखित के :

1) निर्यात दायित्व के विरुद्ध देय सीमा शुल्क 49.86 लाख रुपये है। यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई मांग जारी नहीं की गई है।

ब. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क तथा माल और सेवा कर का कोई बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो :

अधिनियम का नाम	देय का प्रकार	विवादित राशि (लाख रु. में)	अवधि किस राशि से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	सेवा कर	3.82	वित्तीय वर्ष 2009–10 (24.07.12 के आदेश द्वारा)	CESTAT (कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल)
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	238.45	वित्तीय वर्ष 2019–20	आयुक्त (अपील) द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी। कंपनी ने मांग की वसूली के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। इसके अलावा, जब न्यायाधिकरण का गठन होगा, तब न्यायाधिकरण में अपील दायर की जाएगी।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	2.32	वित्तीय वर्ष 2018–19	अति. आयुक्त (अपील) सीजीएसटी के समक्ष अपील दायर की गई है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में किसी भी ऐसे लेनदेन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है, जो पहले लेखा पुस्तकों में आय के रूप में दर्ज नहीं था।

(ix) बकाया राशि के पुनर्भुगतान के संबंध में :

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है।

(स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। इसलिए धारा (ix) (सी) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग कंपनी के दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(य) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(ह) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ब) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (अ) हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है, और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

(स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

(xii) निधि कंपनी के संबंध में:

कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए यह धारा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) संबंधित पक्षों के संबंध में:

संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और 177 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण आदि में विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) (अ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, लेकिन यह उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार नहीं है तथा इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ब) हमें वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है और हमने उस पर विचार किया है।

(xv) निदेशकों के साथ गैर–नकद लेनदेन के संबंध में :

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (अ) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xvi) (ए), (बी), (सी) और (डी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvii) चालू वित्त वर्ष में नकद लाभ 507.18 लाख रुपये है तथा पिछले वित्त वर्ष में नकद घाटा 1477.28 लाख रुपये था। कंपनी ने वर्ष के दौरान 507.18 लाख रुपये का नकद लाभ अर्जित किया (हमारे योग्य मत के अधीन) जबकि पिछले वित्त वर्ष में उसे 1477.28 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ था।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(xviii) लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और प्रासंगिक साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर विद्यमान अपनी देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा समय पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के संबंध में धारा 135 के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, इसलिए धारा (xx) (ए) और (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृतेः वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 001912C)

हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 071893
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का संदर्भित अनुलग्नक-2, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर समदिनांक तक संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हैं:–

क्र.स.	निर्देश	कार्रवाई की गई	इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या आई.टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है ? यदि हां, तो आई.टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ ऐसे खातों की अंखडता पर प्रभाव यदि कोई हों, तो विवरण दें।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओ के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी लेखांकन लेनदेन को आई.टी प्रणाली के बाहर संसाधित/किया नहीं गया है सिवाय इसके कि लेखांकन सॉफ्टवेयर और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर गैर–एकीकृत हैं।। हालांकि, खातों की अंखडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूद ऋण का कोई पुनर्रचना या छूट/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां तो उसके वित्तीय प्रभाव का विवरण दें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओ के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋणों का कोई पुनर्रचना या ढूट/ऋण/ब्याज आदि की माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामले को सूची बनाएं।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं के आधार पर, यह देखा गया कि कंपनी ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार धन का लेखाध्उपयोग किया है।	मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते: वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 001912C)

हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071893
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का संदर्भित अनुलग्नक-3, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर समदिनांक तक

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारत के चाटर्ड एकाउंटेंट्स ("आईसीएआई") के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी के मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की देयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती है;
2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रिया बिगड़ सकती है।

अभिमत का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

(अ) व्यवसाय के आकार, प्रकृति और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(ब) कंपनी के पास माल की आवाजाही के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जो दर्शाता है कि सामग्री के निर्गम और प्राप्ति तथा समय-समय पर व्यापार प्राप्तयों और व्यापार देय से बाह्य पुष्टि प्राप्त करने पर आंतरिक नियंत्रण का अभाव है। वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों और व्यापार देय के लिए खाता विवरण जारी किया था, हालांकि उनके द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए, हम इस प्रणाली की परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में 31 मार्च 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है, और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते: वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 001912C)

हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071893
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/उप–निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृतेः वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि.नं. 001912C)

हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 071893
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024

तुलन पत्र
31 मार्च, 2024 को

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियां			
I. **गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
(अ) परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	4	2,706.00	2,880.43
(ब) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	-	-
(स) निवेश परिसंपत्ति		-	-
(द) साख		-	-
(य) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां			
(i) तकनीकी जानकारी	5	-	-
(र) अमूर्त परिसंपत्तियां विकास के तहत		-	-
(ह) अन्य जैविक परिसंपत्तियां वाहक प्लांट के अलावा		-	-
(ल) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	6	102.92	149.02
(iii) ऋण		-	-
(iv) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	9ए	78.76	174.10
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	2,109.21	2,213.23
(vi) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-	-
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**4,996.89**	**5,416.78**
II. **चालू परिसंपत्तियां**			
(अ) इन्वेंट्री	10	1,913.05	2,074.80
(ब) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	7	15,180.16	16,515.03
(iii) नकद व नकद समतुल्य	11	1,118.02	1,358.61
(iv) बैंक शेष उपरोक्त (iii) को छोड़कर	11ए	307.58	196.52
(v) ऋण			-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9बी	113.64	211.20
(स) चालू कर परिसंपत्तियां	13	439.28	267.07
(द) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	724.00	319.19
कुल चालू परिसंपत्तियां		**19,795.73**	**20,942.42**
कुल परिसंपत्तियां (I + II)		**24,792.62**	**26,359.20**
इक्विटी और दायित्व			
I. **इक्विटी**			
(अ) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1,225.00	1,225.00
(ब) अन्य इक्विटी	15	5,336.04	5,060.54
कुल इक्विटी		**6,561.04**	**6,285.54**
दायित्व			
II. **गैर चालू दायित्व**			
(अ) वित्तीय दायित्व		-	-
(i) उधारी		-	-
(ii) लीज देनदारियां		-	-
(iii) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यम के लेनदारों की कुल बकाया राशि	19ए	-	-
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	19ए	48.52	7.59
(ब) प्रावधान	17ए	292.22	284.74
(स) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		-	-
(द) अन्य गैर चालू दायित्व	18ए	258.95	264.33
कुल गैर चालू दायित्व		**599.69**	**556.66**
III. **चालू दायित्व**			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारी		-	-
(ii) लीज देनदारियां		-	-
(iii) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यम के लेनदारों का कुल बकाया	19बी	2,214.10	2,979.81
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	19बी	12,161.79	11,993.06
(iv) अन्य वित्तीय दायित्व	16	372.97	444.87
(ब) अन्य चालू दायित्व	18बी	1,953.36	2,964.03
(स) प्रावधान	17बी	929.67	1,135.23
कुल चालू दायित्व		**17,631.89**	**19,517.00**
IV. **कुल दायित्व** (II + III)		**18,231.58**	**20,073.66**
कुल इक्विटी और दायित्व (I + IV)		**24,792.62**	**26,359.20**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

लाभ और हानि विवरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण		नोट्स	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालन से राजस्व	21	18,588.00	12,018.53
II.	अन्य आय	22	333.54	118.44
III.	**कुल आय (I + II)**		**18,921.54**	**12,136.97**
IV.	**व्यय**			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	23	10,199.78	6,173.41
	व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	-
	तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	24	88.87	184.36
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	3,256.61	3,343.46
	वित्तीय लागत	26	83.32	86.57
	मूल्ह्रास,क्षति और परिशोधन व्यय	27	191.04	192.64
	अन्य व्यय	28	4,665.04	3,826.45
	कुल खर्चे		**18,484.66**	**13,806.89**
V.	**अपवादात्मक मदों से पहले लाभ/ (हानि) और कर (III-IV)**		**436.88**	**(1,669.92)**
VI.	जोड़े : अपवादात्मक मद		-	-
VII.	**अपवादात्मक मदों से पहले लाभ/ (हानि) और कर**		**436.88**	**(1,669.92)**
VIII.	**घटायें : कर व्यय**	29		
	1. वर्तमान कर		-	-
	2. प्रावधान बदलाव		-	-
	3. आस्थगित कर		120.74	(663.86)
	कुल कर खर्चे		**120.74**	**(663.86)**
IX.	**निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**316.14**	**(1,006.06)**
X.	**बंद परिचालन से लाभ/(हानि)**		-	-
XI.	**बंद संचालन से कर खर्चे**		-	-
XII.	**बंद परिचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X - XI)**		-	-
XIII.	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**316.14**	**(1,006.06)**
XIV.	**अन्य व्यापक आय**		-	-
	अ (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा		-	-
	(अ) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		(57.35)	(3.93)
	ब (i) आयकर से संबंधित मदें जिनको लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		16.71	1.14
	कुल अन्य व्यापक आय (XIV=अ (i)+ब(i))		**(40.64)**	**(2.79)**
XV.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV)**		**275.50**	**(1,008.85)**
XVI.	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	(1) मूल (रुपये में)	30	2.58	(8.21)
	(2) डाइलुटेड (रुपये में)		2.58	(8.21)

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)
हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
अ.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	316.14	(1,006.06)
	समायोजन के लिए :		
	आयकर खर्चे, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	120.74	(663.86)
	डूबत के लिए प्रावधान	100.93	204.78
	परिसंपत्तियां हटाई गई	0.11	-
	वित्त लागत, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	83.32	86.57
	ब्याज आय, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	(106.45)	(98.13)
	मूल्यह्रास और परिशोधन	191.04	192.64
	अशोध्य ऋण / सब्सिडी प्राप्त डूबत खाते में डालने योग्य	-	6.48
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन से उत्पन्न नकद	**705.83**	**(1,277.58)**
	कार्यशील पूंजी में बदलाव:		
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि) / घटौती	1,280.04	(1,052.88)
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / घटौती	(322.97)	125.78
	मालसूची में (वृद्धि) / घटौती	161.75	50.39
	व्यापार देय में वृद्धि / (घटौती)	(556.05)	521.84
	प्रावधानों में वृद्धि / (घटौती)	(255.43)	183.58
	अन्य देय में वृद्धि / (घटौती)	(1,087.95)	997.75
		(780.61)	**826.47**
	परिचालन से उत्पन्न नकद	(74.78)	(451.11)
	आयकर (भुगतान / प्राप्त रिफंड)	**(172.22)**	256.60
	परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद	**(247.00)**	**(194.51)**
ब.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(16.72)	(8.90)
	ब्याज आय	106.45	98.13
	शुद्ध नकद(प्रयोग में ली)/निवेश गतिविधियों से उत्पन्न	**89.73**	**89.23**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	वित्त लागत का भुगतान	(83.32)	(86.57)
	शुद्ध(प्रयोग मे ली)/वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न	**(83.32)**	**(86.57)**
	नकद तथा नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(घटौती)	(240.59)	(191.85)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य*	1,358.61	1,550.46
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य*	**1,118.02**	**1,358.61**

नकद और नकद समतुल्यों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	1,118.02	1,358.61
अंतर	-	-
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (नोट संख्या 11 देखें)	1,118.02	1,358.61

*नकद और नगद समतुल्य में नोट 11 के अनुसार अन्य बैंक शेष शामिल हैं।

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण को ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के तैयार किया गया है, जैसा इंड एएस 7 ''नकद प्रवाही विवरण'' में निर्धारित है।
2. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित किए गए है।
3. कोष्ठक ब्राह्य रोकड़ प्रवाह दर्शाता है।
4. नकद और नकद समुतल्य में 0.14 लाख रुपये का अनुदान शामिल है जो सामान्य व्यावसायिक कार्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी के परिवर्तनों का व्यक्तत्व

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

पिछली रिपोटिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोटिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

पिछली रिपोटिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोटिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	यौगिक वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैशफ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मद	वारंट के खिलाफ पैसा प्राप्त हिस्सा	कुल
			पूंजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुर्नगणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		-	-	-	4,973.45	302.53	-	-	-	-	-	(215.44)	-	5,060.54
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.64)	-	(40.64)
(य) लाभांश		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) सामान्य संचय में स्थानांतरण		-	-	-	300.00	(300.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	316.14	-	-	-	-	-	-	-	316.14
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	**5,273.45**	**318.67**	-	-	-	-	-	**(256.08)**	-	**5,336.04**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

2. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	यौगिक वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैशफ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मद	वारंट के खिलाफ पैसा प्राप्त हिस्सा	कुल
			पूंजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुर्नगणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		-	-	-	5,973.45	308.59	-	-	-	-	-	(212.65)	-	6,069.39
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.79)	-	(2.79)
(य) लाभांश		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) प्रतिधारित आय में स्थानांतरण		-	-	-	(1,000.00)	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	(1,006.06)	-	-	-	-	-	-	-	(1,006.06)
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	**4,973.45**	**302.53**	-	-	-	-	-	**(215.44)**	-	**5,060.54**

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सामान्य सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य जानकारी

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेन्ट्स लिमिटेड, जयपुर (रील) भारत में निगमित और अधिवासित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड़, जयपुर में है। कंपनी भारत सरकार (51% हिस्सेदारी) और राजस्थान सरकार के बीच राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर (रीको) के माध्यम से 49% की हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उपक्रम है।

कंपनी की स्थापना 12 जून 1981 को हुई थी और यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है और एक मिनी रत्न पीएसयू है। रील पवन ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में मामूली रुचि के साथ इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर और सौर ऊर्जा उपकरण के व्यवसाय में है।

2. हाल की लेखा घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इस अवधि के दौरान अधिसूचित किए गए संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होंगे। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए हैं और तदनुसार वित्तीय विवरणों में आंकड़े (राशि) लाख रुपये में लिए गए हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

प्रमुख लेखा नीतियां नीचे निर्धारित की गई हैं:

3.1 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण समय–समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (''इंड एएस'') के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3.2 तैयारी और प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियम भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और दायित्वों के जिनकी उचित मूल्य राशि पर गणना की गई है :

i. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और दायित्व,

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं–योजना परिसंपत्तियां

वित्तीय विवरण एक्रुअल और गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियां को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर सुसंगत रूप से लागू किया जाता है।

वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण: कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और दायित्वों को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह –

i. सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;

ii. मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी हुई है;

iii. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होने की उम्मीद है, या

iv. नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दायित्व तब चालू होता है जब :

i. इसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद होती है;

ii. इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;

iii. इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाना होता है, या

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

v. कंपनी अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू दायित्वों के रूप में वर्गीकृत करती है।

vi. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को गैर–चालू परिसंपत्तियां और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.3 अनुमानों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। उपयोग किए गए प्रमुख लेखांकन अनुमानों को इन वित्तीय विवरणों में प्रासंगिक आय/व्यय और/या परिसंपत्ति/दायित्व मद के अंतर्गत वर्णित किया गया है। प्रबंधन का मानना है कि इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग

किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी द्वारा अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहण लागत पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, के लिए कटौती शामिल है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य (वापसी योग्य करों को छोड़कर) और व्यय, जैसे डिलीवरी और हैंडलिंग लागत, स्थापना, कानूनी सेवाएं और परामर्श सेवाएं शामिल हैं, जो सीधे संपत्ति को साइट पर लाने और इसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है, केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत की विश्वसनीय रुप से गणना की जा सकती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क उस अवधि के दौरान लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है, जिसमें वे खर्च किए गए जाते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है। लीजहोल्ड भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

मूल्यह्रास को इस तरह से मान्यता दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर लागत को सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके बट्टे खाते में डाला जा सके। अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, जिसमें अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर ध्यान में रखा जाता है। 5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान या कार्यमुक्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ–हानि विवरण में पहचाना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो तुलन पत्र की तारीख तक इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें ''पूंजीगत कार्य–प्रगति पर'' के रूप में खुलासा किया जाता है।

3.5 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत में वसूली योग्य करों, व्यापार छूट और छूट को घटाकर संचित परिशोधन/क्षय और क्षति हानि, यदि कोई हो, के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसी लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या उचित रूप से एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और लागत की विश्वसनीय रूप से गणना की जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित–जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित होता है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

परिमित–जीवन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भावी रूप से समायोजित की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुसंधान लागत को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास लागत को व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदर्शित न हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हों, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता हो और लागत लागत की विश्वसनीय रूप से गणना की जा सके। जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहैड लागत शामिल हैं जो सीधे परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3.6 सद्भावना के अलावा मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह की वहन राशि की समीक्षा करती है, जिसे कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) कहा जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई

संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो क्षति हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है।

क्षति हानि को लाभ–हानि विवरण में इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट धन के समय मूल्य और जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

अनिश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों तथा उपयोग के लिए अभी उपलब्ध न होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति के लिए वार्षिक रूप से जांच की जाती है, या जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है।

पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को केवल तभी उलट किया जाता है जब पिछली क्षति हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उलटाव सीमित होता है ताकि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही वहन राशि से अधिक हो जो कि मूल्यह्रास के बाद निर्धारित की गई होती, यदि परिसंपत्ति के लिए पिछले वर्षों में कोई हानि नहीं पहचानी गई होती।

इस तरह के उलटाव को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में, उलटाव को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

3.7 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर पर किया जाता है। हालांकि, इन्वेंट्री के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य वस्तुओं को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, को लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है। लागत की गणना FIFO आधार पर की जाती है, तैयार माल और कार्य–प्रगति की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती हैं।

इन्वेंटरी की लागत में रूपांतरण की सभी लागतें और उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत शामिल होती हैं और इसका मूल्यांकन FIFO पद्धति के आधार पर किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत और समापन की अनुमानित लागत घटा दी जाती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान जिस इन्वेंटरी में खरीद/बिक्री/उपभोग का कोई लेनदेन नहीं हुआ, उसे नॉन मूविंग इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि जिन इन्वेंटरी में 20% से कम लेनदेन हुआ, उन्हें स्लो मूविंग इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन इन्वेंटरी की पहचान वर्ष के अंत में की जाती है और तदनुसार इसके मूल्य के बीस प्रतिशत तक लिखा जाता है। हालांकि, यदि वसूली मूल्य वास्तविक लागत से अधिक है, तो कोई प्रभाव नहीं लिया जाता है।

3.8 राजस्व मान्यता

कंपनी इंड एएस–115 में निर्धारित पाँच–चरणीय मानदंडों के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है:–

(i) ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचानः अनुबंध को दो या अधिक पक्षों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और प्रत्येक अनुबंध के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों की पहचानः एक प्रदर्शन दायित्व ग्राहक के साथ अनुबंध में ग्राहक को एक वस्तु या सेवा हस्तांतरित करने का वादा है।

(iii) लेन–देन मूल्य का निर्धारणः लेन–देन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

(iv) अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य का आवंटनः ऐसे अनुबंध के लिए जिसमें एक से अधिक निष्पादन दायित्व हैं, कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य को उस राशि में आवंटित करती है जो उस प्रतिफल की राशि को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी प्रत्येक निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

(v) राजस्व की मान्यता जब या जब कंपनी किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

- इंड एएस 115 के अनुसार, यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित की गई है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी जानी है।
- कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है जब वह ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा हंस्तातरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। राजस्व को संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा होता है जब परिसंपत्ति (वस्तु या सेवा) का नियंत्रण ग्राहक को समय के साथ हस्तांतरित किया जाता है और अन्य मामलों में, निष्पादन दायित्व समय में पूरा होता है। समय के साथ पूरा किए गए निष्पादन दायित्व के लिए, राजस्व मान्यता निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति की गणना कर राजस्व की पहचान की जाती है।
- राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, जो कि विचारणीय है कि ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट वॉल्यूम छूट, सेवा स्तर क्रेडिट, प्रदर्शन बोनस, मूल्य रियायतें और प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से एकत्र किए गए कर भी शामिल नहीं हैं।
- लेन–देन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि वह किसी ग्राहक को माल या सेवाएं हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान अपेक्षित मूल्य विधि या किसी दिए गए परिस्थिति में उपयुक्त संभावित राशि का उपयोग करके लगाया जाता है। ग्राहक के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक प्रथा के अनुसार होती हैं और वित्तपोषण घटक, यदि महत्वपूर्ण है, तो लेनदेन मूल्य से अलग कर दिया जाता है और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब पहचावा जाता है जब माल में स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार अनुबंध की शर्तों के अनुसार खरीदार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, माल के साथ कोई निरंतर प्रबंधकीय भागीदारी नहीं होती है और राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से गणना की जा सकती है। कंपनी आमतौर पर स्वामित्व से जुड़ी सीमा तक हस्तांतरित माल पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रखती है और माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की राशि के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर गणना की जाती है, किसी भी व्यापार छूट, मात्रा छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए किसी भी कर या शुल्क की कटौती के बाद जो बिक्री पर लगाए जाते हैं जैसे माल और सेवा कर आदि।
- प्रदान की गई सेवाओं से राजस्व की पहचान ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर की जाती है, समय के साथ रिपोर्टिंग अवधि में प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति की गणना कर राजस्व की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

राजस्व मान्यता में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग

- ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में ग्राहक को कई उत्पाद और सेवाएं हस्तांतरित करने के वादे शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में वादा किए गए उत्पादों/सेवाओं का मूल्यांकन करती है और अनुबंध में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। अलग–अलग प्रदर्शन दायित्व की पहचान में वितरणयोग्य वस्तुओं तथा ऐसे वितरणयोग्य वस्तुओं से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की ग्राहक की क्षमता का निर्धारण करने के लिए निर्णय लेना शामिल है।
- कंपनी किसी निष्पादन दायित्व के लिए उचित स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए विवेक का उपयोग करती है। कंपनी अनुबंध में वादा किए गए प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद या सेवा के सापेक्ष स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पागदन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है। जहां स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य अवलोकनीय नहीं है, वहां, कंपनी प्रत्येक विशिष्ट निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए अपेक्षित लागत प्लस मार्जिन दृष्टिकोण का उपयोग करती है।
- कंपनी यह निर्धारित करने में विवेक का प्रयोग करती है कि किसी समय पर या समयावधि में निष्पादन दायित्व की पूर्ति की जाती है या नहीं। कंपनी ऐसे संकेतकों पर विचार करती है जैसे ग्राहक सेवाएं के प्रदान किए जाने पर किस प्रकार लाभ उठाता है या परिसंपत्ति का निर्माण होते समय उसका नियंत्रित कौन करता है या निष्पादन के लिए भुगतान के लिए प्रवर्तनीय अधिकार का अस्तित्व और ऐसे उत्पाद या सेवा का वैकल्पिक उपयोग, ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण, ग्राहक द्वारा डिलीवरी की स्वीकृति, आदि।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

3.9 कर्मचारी हितलाभ

- **सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति हितलाभ**

  परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब

कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो जिसके लिए वे अंशदान के हकदार हों।

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। पुनःगणना, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों पर रिर्टन (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) शामिल है, तुरन्त तुलन पत्र में परिलक्षित होता है, जिस अवधि में वे घटित होते हैं, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त प्रभार या क्रेडिट के साथ। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनःगणना तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

योजना संशोधन की अवधि में पिछली सेवा लागत को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। शुद्ध ब्याज की गणना अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है।

परिभाषित हितलाभ लागतों को निम्नानुसार वगीकृत किया गया है:

- सेवा लागत (वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत, साथ ही कटौती पर लाभ और हानि सहित) और
- शुद्ध ब्याज व्यय या आयय तथा
- पुनःगणना

कंपनी परिभाषित लाभ लागत के पहले दो घटकों को लाभ या हानि में 'कर्मचारी लाभ व्यय' लाइन मद में प्रस्तुत करती है। कटौती लाभ और हानि को पिछली सेवा लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

तुलन पत्र में मान्या प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटे या अधिशेष को दर्शाता है। इस गणना से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष योजनाओं से रिफंड या योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। समाप्ति लाभ के लिए दायित्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी समाप्ति लाभ के प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकती है और जब कंपनी किसी भी संबंधित पुनर्गठन लागत को पहचानती है।

- **अल्पकालीन और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ**

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्वों को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर गणना की जाती है।

3.10 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जो लाभ और हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त हैं, इसकी लेनदेन लागत को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य मामलों में, लेनदेन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य में समायोजित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि और उस अवधि के दौरान कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करती है।

व्यापार प्राप्य और ऋण:

व्यापार प्राप्य और ऋण को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद, इन परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) विधि का उपयोग करके किसी भी अपेक्षित क्रेडिट घाटे के शुद्ध मूल्य पर परिशोधित लागत पर रखा जाता है। EIR वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद आय को छूट देती है। संदिग्ध ऋणों के लिए 3 वर्ष से अधिक तथा 4 वर्ष तक के बकाया पर 10% की दर से, 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के बकाया पर 20% की दर से और 5 वर्ष से अधिक के बकाया पर 30% की दर से प्रावधान किया गया है।

ऋण विलेख:

ऋण विलेखों को शुरु में परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय ('FVOCI') के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('FVTPL') के

आधार पर गणना की जाती है, जब तक कि मान्यता समाप्त नहीं हो जाती;

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का व्यवसाय मॉडल और

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत नकदी प्रवाह विशेषताएं

(अ) परिशोधित लागत पर गणना:

वित्तीय परिसंपत्तियां जो एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय संपत्तियों को रखना है जो केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान है, बाद में प्रभावी ब्याज दर ('EIR') विधि का उपयोग कर परिशोधन लागत पर गणना की जाती है, जिसमें से क्षति हानि, यदि कोई हो, घटा दी जाती है।

EIR का परिशोधन और क्षति से उत्पन्न होने वाली हानि, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ब) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना:

वित्तीय परिसंपत्तियां जो एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना और संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना दोनों से होता है, जो केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान है, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना की जाती है। उचित मूल्य बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

EIR पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज आय और क्षति हानि, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर, OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में इक्विटी से 'अन्य आय' में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

(स) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना:

एक वित्तीय परिसंपत्ति जिसे परिशोधन लागत या FVOCI के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसे FVTPL में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर गणना की जाती है, जिसमें ब्याज आय और लाभांश आय (यदि कोई हो) शामिल है, जिन्हें लाभ–हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर देती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित कर देती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की हानि

- FVTPL श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर प्रारंभिक मान्यता के बाद सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान की जाती है।
- व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी सभी आरंभिक या अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि को मान्यता देती है, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय परिसंपत्ति का ऋण जोखिम इसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम इसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ जाता है, तो अपेक्षित क्रेडिट हानि को आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों के रूप में गणना की जाती है।
- व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' लागू करती है (बिंदु संख्या 3.10 ''व्यापार प्राप्य और ऋण'') लागू करती है, जिसके लिए अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान को प्रप्तियों को प्रारंभिक पहचान से पहचाना जाना आवश्यक होता है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों के पोर्टफोलियो पर क्षति हानि का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों का उपयोग करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और भविष्य के अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।
- क्षति हानि और उलटाव को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय दायित्व:

प्रारंभिक पहचान और गणना

वित्तीय दायित्वों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है। वित्तीय दायित्वों को शुरू में परिशोधन लागत पर गणना की जाती है जब

तक कि प्रारंभिक मान्यता पर उन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। व्यापार देय के मामले में, उन्हें शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में, इन दायित्वों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर रखा जाता है।

बाद की गणना

वित्तीय दायित्वों को बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर गणना की जाती है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वहन की गई वित्तीय दायित्वों को लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर गणना की जाती है।

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

3.11 उचित मूल्य की गणना

उचित मूल्य वह मूल्य है जो गणना तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या दायित्व को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य गणना इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन या तो होता है :

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाजार में, या
- किसी बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में

किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना, परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर, जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य की गणना के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे प्रासंगिक अवलोकन इनपुट का उपयोग अधिकतम किया जा सके और अवलोकनीय इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सके।

सभी परिसंपत्तियां और दायित्व जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य की गणना की जाती है या खुलाला किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण है:

- **लेवल 1** – समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **लेवल 2** – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है।
- **लेवल 3** – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (सबसे कम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य गणना के लिए महत्वपूर्ण है) पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करती है।

उचित मूल्य खुलासे के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और दायित्वों के वर्गों का निर्धारण किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

3.12 प्रावधान और आकस्मिक दायित्व

प्रावधानों तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभावना है कि दायित्व का निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब कंपनी को किसी प्रावधान के कुछ या सभी हिस्से की प्रतिपूर्ति की उम्मीद होती है, उदाहरण के लिए, किसी बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ–हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों

को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक दायित्वों का खुलासा तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई संभावित दायित्व होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जो अतीत के घटनाओं से उत्पन्न होता है, जहां या तो यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

3.13 उधार लेने की लागत

योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत, जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

योग्य परिसंपत्तियों पर उनके व्यय लंबित विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागतों से घटा दिया जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

3.14 आयकर

वर्ष के लिए आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह किसी ऐसे मद से संबंधित हो जिसे सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर, तुलन पत्र की तिथि पर लागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में करों में किसी भी समायोजन का उपयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय/हानि पर देय/प्राप्त करने योग्य अपेक्षित कर है। आयकर से संबंधित ब्याज आय/व्यय और जुर्माना, यदि कोई हो, वर्तमान कर व्यय में शामिल है।

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर दायित्वों को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त किया जाएगा।।

आस्थगित कर दायित्वों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर गणना की जाती है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें दायित्व का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू किए गए या मूल रूप से लागू किए गए कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर दायित्व तब ऑफसेट होती हैं जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और परिसंपत्ति तथा दायित्व को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर दायित्व तब ऑफसेट होती हैं जब वर्तमान कर दायित्वों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है; और आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर दायित्व एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर दायित्वों और परिसंपत्तियों की गणना उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

3.15 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और दायित्वों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा समापन दरों पर अनुवादित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान या स्थानान्तरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा के जो विदेशी मुद्रा उधारों पर ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है, जो सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में गणना की जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर गणना की गई गैर–मौद्रिक मदों को उचित मूल्य गणना की जाने की

तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित किया जाता है। उचित मूल्य पर गणना की गई गैर–मौद्रिक मदों के अनुवाद पर होने वाले लाभ या हानि को मद के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ या हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है (अर्थात, जिन मदों के उचित मूल्य लाभ या हानि को OCI या लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी गई है, उन पर क्रमशः OCI या लाभ–हानि विवरण में भी मान्यता दी जाती है)।

3.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (सहायता अनुदान) का लेखा–जोखा इंड एएस 20 के अनुसार किया जाता है। कंपनी को उन शर्तों और दायित्वों पर विचार करना चाहिए जो पूरी की गई हैं या जानी चाहिए, जब वह उन लागतों की पहचान करती है जिनकी भरपाई अनुदान के लाभ से की जानी है।

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे। सरकारी अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का इरादा है। विशेष रूप से, सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी गैर–चालू परिसंपत्तियों को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ–हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

3.17 पट्टा

कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह आकलन कर लेता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। कोई अनुबंध पट्टा है, या नहीं, यदि वह किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

उपयोग का अधिकार (ROU) परिसंपत्तियों को अनुबंध या व्यवस्था के आरंभ में महत्वपूर्ण पट्टा घटकों के लिए लागत में से पट्टा प्रोत्साहन, यदि कोई हो, घटाकर मान्यता दी जाती है। ROU संपत्तियों को बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर गणना की जाती है। ROU परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा दायित्वों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और पट्टा प्रारंभ तारीख पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। ROU संपत्तियों का मूल्यह्रास आम तौर पर पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर स्ट्रेट–लाइन के आधार पर किया जाता है। पट्टे की अवधि उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित की जाती है जो विस्तार विकल्प का प्रयोग करने या समाप्ति विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करते हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाले पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतान को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट–लाइन के आधार पर लाभ–हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी पट्टे की मान्यता की तारीख पर किए जाने वाले पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर गणना किए गए पट्टा दायित्वों को मान्यता देती है। ऐसे पट्टा दायित्वों में परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं) शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे किए जाते हैं। पट्टे के दायित्व पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। पट्टा दायित्वों को बाद में ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ाया जाता है और किए गए पट्टा भुगतान के लिए घटाया जाता है। पट्टे की व्यवस्था में संशोधन या पट्टे की अवधि के मूल्यांकन में परिवर्तन होने पर पट्टा दायित्वों की वहन राशि भी पुनःगणना की जाती है। ऐसे पुनःगणना के प्रभाव को ROU परिसंपत्तियों के मूल्य में समायोजित किया जाता है।

3.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए देय अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान और प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस शेयरों जैसी घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है, संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के अलावा, जिसने बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को बदल दिया है, संसाधनों में संगत परिवर्तन के बिना।

प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.19 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू संपत्तियां

गैर–चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध

होना चाहिए, जिससे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने की उम्मीद की जानी चाहिए।

बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का न तो मूल्यह्रास किया जाता है और न ही परिशोधन किया जाता है।

बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर गणना की जाती है और उन्हें तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

3.20 लाभांश

भुगतान किए गए लाभांश (उस पर आयकर सहित) को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या अंतिम लाभांश के संबंध में जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

3.21 नकद और बैंक शेष

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों और रोकड़ हाथ में और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

नकद और बैंक शेष में सावधि जमा, मार्जिन मनी जमा, बैंकों के साथ निर्धारित शेष और अन्य बैंक शेष भी शामिल हैं, जिन पर प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है। अल्पावधि और तरल निवेश मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम से अधिक के अधीन हैं, उन्हें नकदी और नकदी समतुल्यों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।

3.22 परिचालन खंड

परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (CODM) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। CODM, जो संसाधनों के आवंटन और परिचालन खंडों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, की पहचान कॉर्पोरेट प्रबंधन समिति के रूप में की गई है।

खंडों को उन व्यवसायों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है जिनकी आर्थिक विशेषताएं समान होती हैं तथा जो उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति, ग्राहक के प्रकार और वर्ग तथा वितरण विधियों में समानताएं प्रदर्शित करते हैं।

तीसरे पक्ष के ग्राहकों से उत्पन्न होने वाले खंड राजस्व को वित्तीय विवरणों में राजस्व के समान आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। अंतर–खंड राजस्व को उन लेनदेन के आधार पर रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य रूप से बाजार आधारित होते हैं। खंड के परिणाम वित्त शुल्त, गैर–आवंटित कॉर्पोरेट व्यय और करों से पहले लाभ दर्शाते हैं।

''अनआबंटित कॉर्पोरेट व्यय'' में राजस्व और व्यय शामिल हैं जो समग्र रूप से उद्यम के लिए जिम्मेदार पहलों/लागतों से संबंधित हैं।

3.23 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जहां कर पूर्व लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, पिछले या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

3.24 पिछली अवधि की त्रुटियां

पिछली अवधि की त्रुटियों में ऐसी चूकें और गलत बयान शामिल हैं जो विश्वसनीय जानकारी का उपयोग करने में विफलता से उत्पन्न होती हैं जो उस समय उपलब्ध थी या प्राप्त की जा सकती थी जब उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

पिछली तुलनात्मक अवधि से संबंधित साम्रगी पूर्व अवधि की त्रुटियां को, जहां भी आवश्यक हो, तुलन पत्र और लाभ–हानि विवरण के तुलनात्मक आंकड़ों को फिर से बताकर दिखाया जाएगा। इस प्रकार, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा इस तरह किया जाएगा जैसे कि त्रुटि ही नहीं थी।

3.25 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती है:

- **समायोजन घटनाएं:** समायोजन घटनाएं वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का प्रमाण प्रदान करती हैं; और
- **गैर-समायोजित घटनाएं:** गैर–समायोजन घटनाएं वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं।

वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन घटनाओं को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर–समायोजन घटनाओं को दर्शाने करने के लिए समायोजित नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर–समायोजन घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसी घटनाओं को घटना की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव के अनुमान के साथ प्रकट किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 4 : मूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति						आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2023 को शेष	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2024 को शेष	1 अप्रैल, 2023 को शेष	समायोजन	मूल्यह्रास खर्चे	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2024 को शेष	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	**25.95**	21.34	-	2.00	-	-	**23.34**	**2.61**	4.61
सड़क, नालियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	**26.34**	25.02	-	-	-	-	**25.02**	**1.32**	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	**1,838.43**	256.21	-	31.39	-	-	**287.60**	**1,550.83**	1,582.22
फर्नीचर और फिक्चर्स	398.50	-	-	-	**398.50**	164.48	-	31.71	-	-	**196.19**	**202.31**	234.02
कार्यालय उपकरण	135.70	-	-	-	**135.70**	65.33	-	9.25	-	-	**74.58**	**61.12**	70.37
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	**580.00**	551.00	-	-	-	-	**551.00**	**29.00**	29.00
अस्थाई निर्माण	26.13	-	-	-	**26.13**	26.13	-	-	-	-	**26.13**	**-**	-
संयंत्र एवं मशीन – आयातित	1,519.14	-	-	-	**1,519.14**	887.73	-	89.92	-	-	**977.65**	**541.49**	631.41
संयंत्र एवं मशीन – स्वदेशी	495.50	-	-	-	**495.50**	302.80	-	19.02	-	-	**321.82**	**173.68**	192.70
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	217.67	16.72	2.28	-	**232.11**	190.51	(2.17)	6.46	-	-	**194.80**	**37.31**	27.16
लीजहोल्ड परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	**127.28**	19.66	-	1.29	-	-	**20.95**	**106.33**	107.62
उपयोग	**5,390.64**	**16.72**	**2.28**	**-**	**5,405.08**	**2,510.21**	**(2.17)**	**191.04**	**-**	**-**	**2,699.08**	**2,706.00**	**2,880.43**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
कुल	**5,390.64**	**16.72**	**2.28**	**-**	**5,405.08**	**2,510.21**	**(2.17)**	**191.04**	**-**	**-**	**2,699.08**	**2,706.00**	**2,880.43**

4.1 कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गैर–फंड आधारित सीमा का लाभ उठा रही है, जो कच्चे माल के दृष्टिबंधक, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल और बही ऋण के माध्यम से सुरक्षित है और कंपनी की अचल और चल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर पहले प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

4.2 लीजहोल्ड भूमि में कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर में स्थित 40000 वर्ग मीटर और मानसरोवर, जयपुर स्थित क्षेत्र में 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है।

पिछला वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति						आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2022 को शेष	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2023 को शेष	1 अप्रैल, 2022 को शेष	समायोजन	मूल्यह्रास खर्चे	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2023 को शेष	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	**25.95**	18.44	-	2.91	-	-	**21.34**	**4.61**	7.51
सड़क, नालियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	**26.34**	25.02	-	-	-	-	**25.02**	**1.32**	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	**1,838.43**	224.82	-	31.39	-	-	**256.21**	**1,582.22**	1,613.61
फर्नीचर और फिक्चर्स	174.80	-	(0.09)	-	**174.71**	130.83	(0.09)	33.74	-	-	**164.48**	**10.23**	43.97
कार्यालय उपकरण	135.61	-	0.09	-	**135.70**	55.93	0.09	9.31	-	-	**65.33**	**70.37**	79.68
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	**580.00**	551.00	-	-	-	-	**551.00**	**29.00**	29.00
अस्थाई निर्माण	26.13	-	-	-	**26.13**	26.13	-	-	-	-	**26.13**	**-**	-
संयंत्र एवं मशीन – आयातित	1,519.14	-	-	-	**1,519.14**	797.85	-	89.88	-	-	**887.73**	**631.41**	721.29
संयंत्र एवं मशीन – स्वदेशी	718.81	-	-	-	**718.81**	281.96	-	20.84	-	-	**302.80**	**416.01**	436.85
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	209.25	8.90	-	-	**218.15**	187.22	-	3.29	-	-	**190.51**	**27.64**	22.03
लीजहोल्ड परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	**127.28**	18.37	-	1.29	-	-	**19.66**	**107.62**	108.91
उपयोग	**5,381.74**	**8.90**	**-**	**-**	**5,390.64**	**2,317.57**	**-**	**192.64**	**-**	**-**	**2,510.21**	**2,880.43**	**3,064.17**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
कुल	**5,381.74**	**8.90**	**-**	**-**	**5,390.64**	**2,317.57**	**-**	**192.64**	**-**	**-**	**2,510.21**	**2,880.43**	**3,064.17**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 5 : अमूर्त परिसंपत्तियां

चालू वर्ष

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2023 को शेष	अलग अधिग्रहण से वृद्धि	आंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च,2024 को शेष	1 अप्रेल, 2023 को शेष	परिशोधन खर्चे	समायोजन	31 मार्च, 2024 को शेष	31 मार्च, 2024 को शेष	31 मार्च,2023 को शेष
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उपयोग (अ)	**72.70**	**-**	**-**	**-**	**72.70**	**72.70**	**-**	**-**	**72.70**	**-**	**-**

पिछला वर्ष

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				आगे ले जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2022 को शेष	अलग अधिग्रहण से वृद्धि	आंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च,2023 को शेष	1 अप्रेल, 2022 को शेष	परिशोधन खर्चे	समायोजन	31 मार्च, 2023 को शेष	31 मार्च, 2023 को शेष	31 मार्च,2022 को शेष
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उपयोग (अ)	**72.70**	**-**	**-**	**-**	**72.70**	**72.70**	**-**	**-**	**72.70**	**-**	**-**

6. व्यापार प्राप्तियां - गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(अ) असुरक्षित, शोध्य माने गए	102.92	149.02
कुल	**102.92**	**149.02**

7. व्यापार प्राप्तियां - चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पार्टियों से		
(अ) असुरक्षित, शोध्य माने गए	2,078.74	1,920.19
अन्य से		
(अ) सुरक्षित, शोध्य माने गए	-	-
(ब) असुरक्षित, शोध्य माने गए	13,101.42	14,594.84
(स) संदिग्ध	2,529.74	2,428.81
घटाये : संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	2,529.74	2,428.81
कुल	**15,180.16**	**16,515.03**

7.1 कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे हैं, लेकिन इन पत्रों का जवाब कंपनी को नहीं मिला है।

7.2 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की फेम II योजना में, 222 ईवीसीएस स्थापित करने के लिए 680 ईवीसीएस के लिए 8.15 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। अनुदान का उपयोग, ईवीसीएस बिल किए गए का 70% तक किया गया है, ईवीसीएस की शेष असमायोजित राशि के लिए 12.85 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने हैं।
मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टेक्सो चार्जजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया गया था। मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एसबी सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12 / 2023, 13 / 2023 और 14 / 2023 दायर किया है।
दिनांक 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया। एकल मध्यस्थ के निर्देशों के अनुसार मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को सामग्री सौंप दी है। चूंकि मध्यस्थ द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय नहीं सुनाया गया है, इसलिए लेखा पुस्तकों में उसका समायोजन नहीं किया गया है।

8. आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)

तुलन पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर संपत्तियां / (दायित्व) का विश्लेषण निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आस्थगित कर दायित्व	(368.42)	(448.52)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,477.63	2,661.75
शुद्ध	**2,109.21**	**2,213.23**

8.1 आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों का कुछ हिस्सा या सभी का भुगतान नहीं किया जाएगा। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उन अवधियों के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देनदारियों, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के निर्धारित उलटफेरों पर विचार करता है। ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर, जिन अवधियों में आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां कटौती योग्य हैं, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों का एहसास करेगी। आस्थगित आयकर संपत्तियों की राशि वसूली योग्य मानी जाती है, हालाँकि, वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की राशि को निकट अवधि में कम किया जा सकता है यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय अनुमानों को कम कर दिया जाए। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, चालू वर्ष की तरह अब कंपनी के पास भविष्य के वर्षों में कर योग्य भविष्य के लाभ होंगे, जिन पर इस परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी की स्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूलने की क्षमता का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिसमें भविष्य के कर योग्य परिणामों के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखा जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	3,443.58	843.63	215.41	3,948.56	-	**8,451.18**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	7,487.40	**7,487.40**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	1,771.32	**1,771.32**
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
कुल	3,443.58	843.63	215.41	3,948.56	9,258.72	**17,709.90**
घटायें : संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2,529.74	**2,529.74**
कुल व्यापार प्राप्तियां	**3,443.58**	**843.63**	**215.41**	**3,948.56**	**6,728.98**	**15,180.16**

व्यापार प्राप्तियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2023 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	4,869.07	1,185.87	3,531.81	589.02	-	**10,175.77**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	6,923.62	**6,923.62**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	1,844.45	**1,844.45**
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	**-**
कुल	4,869.07	1,185.87	3,531.81	589.02	8,768.07	**18,943.84**
घटायें : संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2,428.81	**2,428.81**
कुल व्यापार प्राप्तियां	**4,869.07**	**1,185.87**	**3,531.81**	**589.02**	**6,339.26**	**16,515.03**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में :				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(346.29)	49.18	-	(297.11)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.20	(1.26)	-	7.94
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	707.27	29.00	-	736.27
आस्थगित राजस्व	(102.23)	30.92	-	(71.31)
आस्थगित व्यय	70.78	(27.66)	-	43.12
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	589.96	(89.78)	16.71	516.89
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	1,284.54	(111.13)	-	1,173.41
कुल	**2,213.23**	**(120.74)**	**16.71**	**2,109.21**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में :				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(344.40)	(1.89)	-	(346.29)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5.90	3.30	-	9.20
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	645.82	61.45	-	707.27
आस्थगित राजस्व	(100.82)	(1.41)	-	(102.23)
आस्थगित व्यय	78.95	(8.17)	-	70.78
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	582.24	6.58	1.14	589.96
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	929.14	355.40	-	1,284.54
आस्थगित अनुदान	(248.60)	248.60	-	-
कुल	**1,548.23**	**663.86**	**1.14**	**2,213.23**

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

9अ. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पार्टियों से		
– प्रतिभूति जमा	0.40	0.40
अन्य	-	-
– प्रतिभूति जमा	75.60	67.88
– कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	2.76	2.42
– नकद एवं बैंक शेष तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है (नीचे टिप्पणी देखें)	-	103.40
कुल	**78.76**	**174.10**

टिप्पणी : नकद और बैंक बैलेंस का विवरण, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हे।

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक बैलेंस (उस पर अर्जित ब्याज सहित) तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बैंक के पास मार्जिन मनी के रूप में जमा राशि जमा है।	224.64	228.84
घटायें : अन्य बैंक बैलेंस के तहत परिलक्षित राशि (नोट 11ए)	224.64	125.44
अन्य वित्तीय संपत्तियों के तहत परिलक्षित राशि-गैर-चालू (नोट 9ए)	**-**	**103.40**

9ब. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
– प्रतिभूति जमा	6.24	6.24
– स्टाफ को ऋण	-	0.34
– बयाना राशि	107.40	204.62
कुल	**113.64**	**211.20**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

10. इन्वेंट्री

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इन्वेंट्री		
कच्चा माल	1,181.41	1,182.85
उत्पादन विभाग में कच्चा माल	540.10	615.07
तैयार माल	182.17	271.04
पैंकिग सामग्री	9.37	5.84
लूस टूल्स	-	-
माल रास्ते में	-	-
व्यापार में स्टॉक	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1,913.05**	**2,074.80**

10.1 इन्वेंट्री में 33.75 लाख रुपये की नॉन मूविंग वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें 33.87 लाख रुपये की कटौती की गई है (पिछले वर्ष 23.30 लाख रुपये की स्लो मूविंग वस्तुएं थीं, जिनमें 29.67 लाख रुपये की कटौती की गई है, 42.06 लाख रुपये की नॉन मूविंग वस्तुएं थीं, जिनमें 110.53 लाख रुपये की कटौती की गई है।

10.2 इस इन्वेंट्री में पुरानी बैटरियों के रूप में 14 लाख रुपये भी शामिल हैं, जो बिक्री प्रतिवर्तन के एवज में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 56 लाख रुपये कम कर दिए गए।

11. नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में शेष नकद और बैंकों में बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष, जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण में दिखाया गया है, को तुलन पत्र में संबंधित मदों के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंकों के साथ शेष राशि (अ+ब+स)	1,116.99	**1,356.44**
बचत खाता (अ)	0.14	13.69
अन्य बैंक बैलेंस (ब)	104.95	711.28
बैंक के पास जमा (स)	1,011.90	631.47
शेष रोकड़	1.03	2.17
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
नकद और नकद समतुल्य	**1,118.02**	**1,358.61**

FAME II योजना के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) से प्राप्त सब्सिडी को बचत खाते में रखा गया है और ये धनराशि सामान्य व्यवसाय संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

11ए. अन्य बैंक बैंलेस

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक जमा को मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास गिरवी रखा गया (परिपक्वता 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम)	224.64	125.44
एफडीआर को ईएमडी के रूप में जारी किया गया	82.94	71.08
कुल	**307.58**	**196.52**

टिप्पणी : कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गैर–फंड आधारित सीमा का लाभ उठा रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल और बुक डेट के दृष्टिबंधक के माध्यम से सुरक्षित है और कंपनी की अचल और चल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है।

12. अन्य परिसंपत्तियां - चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
– कर्मचारियों को खर्चे के बदले अग्रिम	1.12	1.58
जीएसटी अपील के खिलाफ जमा	23.84	23.84
प्रीपेड खर्चे	11.32	10.45
अन्य अग्रिम	18.89	10.03
विक्रेताओं को अग्रिम	10.34	12.83
जीएसटी समायोज्य	571.05	210.48
प्राप्त अग्रिम पर जीएसटी	87.44	49.98
कुल	**724.00**	**319.19**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां एवं दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
पूर्व अवधि में भुगतान किए गए करों की वसूली के लिए कर हानि का लाभ वापस लिया जाएगा	-	-
करों का अग्रिम भुगतान	457.68	285.47
	457.68	**285.47**
वर्तमान कर दायित्व	-	-
आयकर देय	18.40	18.40
	18.40	**18.40**
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (दायित्व)	**439.28**	**267.07**

14. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर पूंजी	1,225.00	1,225.00
कुल	**1,225.00**	**1,225.00**

प्राधिकृत शेयर पूंजी:		
1,50,00,000 इक्विटी शेयर्स प्रत्येक 10/– रु. के (31 मार्च, 2024 तकः 1,50,00,000)	1,500.00	1,500.00
निर्गमित और खरीदे गए पूंजी में शामिल है :		
1,22,50,000 इक्टिवी शेयर्स पूर्ण प्रदत्त, प्रत्येक 10/– रु. के (31 मार्च, 2024 तक : 1,22,50,000)	1,225.00	1,225.00
	1,225.00	**1,225.00**

14.1 अवधि के दौरान बदलाव

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**शेयर पूंजी (राशि)**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर पूंजी (राशि)**
अवधि के आरंभ में शेष	1,22,50,000	1,225.00	1,22,50,000	1,225.00
बदलाव	-	-	-	-
अवधि के अंत में शेष	1,22,50,000	1,225.00	1,22,50,000	1,225.00

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनका 10 रुपये के बराबर मूल्य है, प्रति शेयर एक वोट रखते हैं और लाभांश का अधिकार रखते हैं।

14.2 प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए 5% से अधिक शेयर का विवरण

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
विवरण	**धारित शेयरों की संख्या**	**शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग**	**धारित शेयरों की संख्या**	**शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग**
इक्विटी शेयर्स:				
भारत सरकार	62,47,500	51%	62,47,500	51%
रीको, जयपुर	60,02,500	49%	60,02,500	49%
कुल	1,22,50,000	100%	1,22,50,000	100%

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

14.3 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयर			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	**शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरो का %**	
भारत सरकार	62,47,500	51%	-
मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	60,02,500	49%	-

14.4 पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिए शेयरों का विवरण

विवरण	**31/03/2023**	**31/03/2022**	**31/03/2021**	**31/03/2020**	**31/03/2019**
नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंधों के लिए आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-

15. अन्य इक्विटी

इक्विटी बैलेंस में विस्तृत उतार-चढ़ाव के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण देखें।

चालू वर्ष

विवरण	**सामान्य संचय**	**प्रतिधारित अर्जन**	**कुल**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4,973.45	87.09	5,060.54
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	316.14	316.14
जोड़े : अन्य व्यापक आय	-	(40.64)	(40.64)
घटाइयें : प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	300.00	-	300.00
जोड़े : सामान्य संचय में स्थानांतरण	-	(300.00)	(300.00)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**5,273.45**	**62.59**	**5,336.04**

पिछला वर्ष

विवरण	**सामान्य संचय**	**प्रतिधारित अर्जन**	**कुल**
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	5,973.45	95.94	6,069.39
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(1,006.06)	(1,006.06)
जोड़े : अन्य व्यापक आय	-	(2.79)	(2.79)
घटाइयें : प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	(1,000.00)	-	(1,000.00)
जोड़े : सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	1,000.00	1,000.00
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**4,973.45**	**87.09**	**5,060.54**

16. अन्य वित्तीय देनदारियां - चालू

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	**31 मार्च, 2023 को**
(अ) बयाना राशि	40.03	36.58
(ब) रिटेंशन राशि	20.96	20.96
(स) प्रतिभूति जमा	97.64	104.40
(द) कर्मचारी लाभ देय	84.29	109.57
(य) अन्य	111.65	96.09
(ल) खर्चों के विरुद्व कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति	18.40	77.27
कुल	**372.97**	**444.87**

17. प्रावधान

17 ए. प्रावधान - गैर चालू

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	**31 मार्च, 2023 को**
कर्मचारी लाभ	292.22	284.74
कुल	**292.22**	**284.74**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

17 बी. प्रावधान - चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कर्मचारी लाभ	879.67	1,085.23
वारंटी के लिए प्रावधान	50.00	50.00
कुल	**929.67**	**1,135.23**

17.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आधा वेतन अवकाश और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए देयता का प्रावधान शामिल है। एक्चुअरी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त को मान्यता दी गई है।

17.2 ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ–साथ माल के लिए भी वारंटी प्रदान की जाती है। कंपनी इंड एएस 37 के अनुसार वारंटी खर्चों के लिए प्रावधान करती है।

18. अन्य दायित्व

18 ए. अन्य गैर-चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
– आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	17.09	18.15
– आस्थगित राजस्व	241.86	246.18
कुल	**258.95**	**264.33**

18 बी. अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम		
संबंधित पक्षों से	42.39	178.78
अन्य से	1,674.12	2,529.68
– आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	12.87	12.87
– परिसंपत्ति से संबंधित आस्थगित अनुदान	1.07	1.07
– भारत की संचित निधि के अंतर्गत देय ब्याज	0.13	13.69
– आस्थगित राजस्व	54.25	30.99
– वैधानिक बकाया	168.53	196.95
कुल	**1,953.36**	**2,964.03**

18.1 आय से संबंधित आस्थगित अनुदान को उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी, जिसमें संगठन इन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानता है, जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

18.2 परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित अनुदान को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

19 ए. व्यापार देय - गैर चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पार्टियों से	-	-
अन्य से		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लेनदारों का कुल बकाया	-	-
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों क कुल बकाया	48.52	7.59
कुल	**48.52**	**7.59**

19 बी. व्यापार देय - चालू

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पार्टियों से	-	-
अन्य से		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लेनदारों का कुल बकाया	2,214.10	2,979.81
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	12,161.79	11,993.06
कुल	**14,375.89**	**14,972.87**

19.1 उपरोक्त बकाया राशि में अनुबंध दायित्वों को पूरा न करने के कारण मेसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज को देय 3229.89 लाख रुपये शामिल हैं। पार्टी पहले ही कंपनी के ग्राहकों मेसर्स प्रादेशिक को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (PCDF), उत्तर प्रदेश और मेसर्स यूपीनेडा के संबंध में निचली अदालत में दो मामले हार चुकी है। पीसीडीएफ के मामले में 29.09.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया और मध्यस्थता की कार्यवाही में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय लिया। (UPNEDA) के मामले में मैसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल मध्यस्थता आवेदन दायर किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2023 द्वारा एस.बी. मध्यस्थता आवेदन संख्या 133 / 2021 के मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

व्यापार देनदारियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2024 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	918.92	239.28	74.33	113.65	867.92	**2,214.10**
(ii) अन्य	2,532.00	294.74	249.21	2,124.88	3,628.06	**8,828.89**
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	-	-	3,332.90	**3.332.90**
कुल	**3,450.92**	**534.02**	**323.54**	**2,238.53**	**7,828.88**	**14,375.89**

व्यापार देनदारियां एजिंग शिडयूल 31 मार्च, 2023 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	1,514.49	103.35	237.67	112.04	1,012.26	**2,979.81**
(ii) अन्य	2,585.22	332.81	1,949.87	1,486.67	1,795.92	**8,150.49**
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित बकाया–अन्य	-	-	6.25	-	3,836.32	**3,842.57**
कुल	**4,099.71**	**436.16**	**2,193.79**	**1,598.71**	**6,644.50**	**14,972.87**

20. आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक परिसंपत्ति और प्रतिबद्धता

20.1 आकस्मिक दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(अ) कंपनी की ओर से बैंकरों द्वारा दी गई गारंटी	1,197.36	3,693.08
(ब) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	8,017.94	4,047.43
(स) जीएसटी कारण बताओ नोटिस–जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लंबित (उच्च न्यायालय से ली गई मांग के विरुद्ध स्थगन)	238.46	238.46
(द) सेवा कर कारण बताओ नोटिस/उत्पाद एवं सेवा कर विभाग द्वारा डिमांड की गई (2009–10)	3.82	3.82

20.1.1 कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसमें मैसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज, मेसर्स उत्तम प्रकाश, मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केबीएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों के दावे शामिल हैं, जिनके लिए मुकदमा अदालत में लंबित है।

20.1.2 आकस्मिक देनदारियों को तब पहचाना जाता है जब पिछली घटनाओं से कोई संभावित दायित्व उत्पन्न होता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से मंगठन के नियंत्रण में नहीं हैं। एमएसएमई विक्रेताओं में से एक, मैसर्स गनसम ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 14.75 लाख रुपये बकाया है ने MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार ब्याज का दावा किया है और अमरावती में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। 26.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जयपुर में मध्यस्थता अदालत में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील करने का निर्देश दिया। अब यह मामला वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर में लंबित है। प्रबंधन के अनुसार, ब्याज दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, इसे आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

20.1.3 मेसर्स केबीएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने मामले में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एस.बी. मध्यस्थता आवेदन दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.02.2024 द्वारा एस.बी. मध्यस्थता आवेदन संख्या 31/2023 में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है।

20.2 आकस्मिक परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बीमा दावें दर्ज किए गए लेकिन स्वीकृत/निपटाए नहीं किये गए	-	4.64
कुल	**-**	**4.64**

20.3 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रतिबद्धताएं		
निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधी की अनुमानित राशि और सेवा और रखरखाव अनुबंधों को शामिल करने के लिए प्रदान नहीं किया गया है।	6,197.17	14,624.36
कुल	**6,197.17**	**14,624.36**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

21. परिचालन से राजस्व

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

निरंतर परिचालन से अवधि के लिए कंपनी के राजस्व का विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(अ) बिक्री		
निर्यात	6,554.88	304.95
घरेलू	8,962.57	8,155.71
(ब) सेवाओं की बिक्री	-	-
सेवा रखरखाव और स्थापना शुल्क	3,060.61	3,536.65
(स) अन्य परिचालन राजस्व		
अनुदान सहायता	-	12.87
बीमा प्राप्तियां	5.77	4.86
परिवहन प्राप्तियां	4.17	3.49
कुल	**18,588.00**	**12,018.53**

21.1 सहायता अनुदान में चालू वर्ष में शून्य रुपये की आय से संबंधित अनुदान शामिल है (पिछले वर्ष में 12.87 लाख रुपये) जिसमें उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में पहचाना जाता है, जिसमें संगठन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिसके लिए अनुदान का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना है।

21.2 राजस्व डिसएग्रीगेशन जैसा कि खंड सूचना में शामिल किया गया है (नोट 34 देखें)।

21.3 असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का कुल मूल्य 296.11 लाख रुपये है जिनमें से 18.32% की पहचान अगले वर्ष होने की उम्मीद है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से कोई प्रतिफल ऊपर उल्लिखित राशि से बाहर नहीं रखा गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित राजस्व में परिवर्तन इस प्रकार हैं :

वर्ष के शुरुआत में शेष राशि	**277.17**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	(170.50)
वर्ष के दौरान वृद्धि	189.44
वर्ष के अंत में शेष राशि	**296.11**

22. अन्य आय

अ) ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
बैंक जमा	53.58	25.24
अन्य	52.87	72.89
कुल (अ)	**106.45**	**98.13**

ब) अन्य गैर–परिचालन आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
सरकारी अनुदान का परिशोधन*	1.07	1.07
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	71.23	0.00
अन्य (अभौतिक वस्तुओं का कुल)	34.53	19.24
निर्यात पर डयूटी ड्रॉबैक	120.26	-
कुल (ब)	**227.09**	**20.31**
कुल (अ+ब)	**333.54**	**118.44**

*1.06 लाख रुपये के अनुदान का परिशोधन परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान का परिशोधन है (पिछले वर्ष में 1.06 लाख रुपये) जिसे परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

23. उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
प्रारंभिक स्टॉक	1,803.76	1,669.79
जोडें : कच्चे माल की खरीद	10,126.90	6,307.38
	11,930.66	**7,977.17**
घटायें : अंतिम स्टॉक	1,730.88	1,803.76
कुल	**10,199.78**	**6,173.41**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

23 ए. उपभोग की गई सामग्री का विवरण

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(अ) खपत किए गए कच्चे माल का विवरण		
सौर ऊर्जा उपकरण		
– सोलर सेल्स	230.72	197.79
– अन्य	6,276.46	2,221.29
इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर	3,659.68	3,724.06
उपभोग्य और पैकिंग सामग्री	32.92	30.27
कुल	**10,199.78**	**6,173.41**
(ब) आयातित और स्वदेशी सामग्री की खपत का मूल्य		
आयातित	381.04	458.84
स्वदेशी	9,818.74	5,714.57
कुल	**10,199.78**	**6,173.41**

24. तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
स्टॉक में वृद्धि(–) / कमी(+)		
प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	271.04	455.40
	271.04	455.40
घटाइयें : अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	182.17	271.04
	182.17	271.04
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	88.87	184.36
कुल	**88.87**	**184.36**

25. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजूदरी	2,883.06	2,935.91
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	293.26	338.98
कर्मचारी कल्याण व्यय	41.56	39.26
चिकित्सा व्यय के लिए प्रावधान	38.73	29.31
कुल	**3,256.61**	**3,343.46**

26. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज लागत	0.96	11.96
बैंक शुल्क	52.29	27.91
बैंक गारंटी कमीशन	30.07	46.70
कुल	**83.32**	**86.57**

27. मूल्यह्रास, क्षति और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
निरंतर संचालन से संबंधित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास	191.04	192.64
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की क्षति	-	-
घटाइयें : पिछले वर्ष का मूल्यह्रास बट्टे खाते में डाला	-	-
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	-	-
निरंतर संचालन से संबंधित कुल मूल्यह्रास, क्षति और परिशोधन	**191.04**	**192.64**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

28. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यय		
विद्युत एवं ईंधन	40.62	37.77
मरम्मत एवं रखरखाव		
– प्लांट एवं मशीनरी	5.30	7.07
– भवन	5.65	9.56
– अन्य	4.72	4.84
टेस्टिंग और अन्य खर्च	32.33	3.26
अनुसंधान एवं विकास के लिए घटक और प्रोटोटाइप	4.51	5.48
किराया	14.75	17.00
दर और कर	16.50	18.36
छपाई और स्टेशनरी	11.75	11.54
यात्रा और आवागमन	92.77	134.07
डाक और संचार खर्च	16.43	16.82
कानूनी एवं प्रोफेशनल शुल्क	55.31	18.74
सुरक्षा, सफाई और अन्य खर्च	77.71	74.45
लेखा परीक्षकों को भुगतान	2.62	3.09
बीमा शुल्क	7.78	5.76
संदिग्ध देनदारी की स्वीकार्यता	100.93	204.78
विज्ञापन और व्यापार प्रचार	16.77	21.58
अग्रेषण व्यय	438.09	91.12
वारंटी दायित्व	59.05	59.88
रॉयल्टी, छूट और कमीशन	189.39	137.12
सेवा, रखरखाव और स्थापना शुल्क	3,415.40	2,878.72
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	-	16.79
विविध व्यय	56.55	42.17
डूबत/प्राप्त सब्सिडी को हटाना	-	6.48
परिसंपत्तियों की हानि को हटाना	0.11	-
कुल	**4,665.04**	**3,826.45**

28.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.25	1.25
(ब) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.70	0.60
(स) प्रमाणन कार्य	0.42	0.99
(द) जेब खर्च से बाहर	0.25	0.25
कुल	**2.62**	**3.09**

28.2 विविध व्ययों में निदेशक की बैठक फीस 0.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.40 लाख रुपये) और बोर्ड मीटिंग व्यय 0.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.09 लाख रुपये) शामिल हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

29. सतत संचालन से संबंधित आय कर

29.1 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आय कर

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर		
वर्तमान अवधि के संबंध में	-	-
पिछले वर्षों से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	-	-
प्रावधान उलटाव		
पिछली अवधि के संबंध में	-	-
	-	-
आस्थगित कर		
वर्तमान अवधि के संबंध में	(120.74)	(663.86)
पिछले वर्ष से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	(120.74)	**(663.86)**
चालू संचालन से संबंधित वर्तमान अवधि में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**(120.74)**	**(663.86)**

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःआकलन	16.71	1.14
कुल	**16.71**	**1.14**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन :– वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा	16.71	1.14

30. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
	रु. प्रति शेयर	**रु. प्रति शेयर**
सतत संचालन से		
कर पश्चात लाभ/(हानि)	316.14	(1,006.06)
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	**2.58**	**(8.21)**
डाइलुटेड ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइलुटेड आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	**2.58**	**(8.21)**
सतत संचालन से	**रु. प्रति शेयर**	**रु. प्रति शेयर**
मूल आय प्रति शेयर	2.58	(8.21)
डाइलुटेड आय प्रति शेयर	2.58	(8.21)

30.1 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या इस प्रकार है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों के कारण अवधि के लिए लाभ/(हानि) (अ)	316.14	(1006.06)
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (अ/ब)	**2.58**	**(8.21)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

30.2 प्रति शेयर डाइलुटेड आय

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय इस प्रकार है :

प्रति शेयर डाइलुटेड आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मेल खाती है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	316.14	(1,006.06)
प्रति शेयर डाइलुटेड आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय (अ)	316.14	(1,006.06)
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइलुटेड आय (अ/ब)	**2.58**	**(8.21)**

31. कर्मचारी लाभ योजनाएं

31.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में रखे गए अपने सभी योग्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान देती है।

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल खर्चे 221.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 224.17 लाख रुपये) है।

31.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना का प्रबंधन एक पॉलिसी द्वारा किया जाता है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुमोदित ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना की देनदारियों का आकलन करने के लिए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और सेवा में मृत्यु से संबंधित लाभ शामिल हैं।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित) की गणना डिस्काऊंट दर का उपयोग करके की जाती है जो सरकारी बांड पर रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर बाजार के संदर्भ में निर्धारित होती है। चूंकि निवेश बीमा कंपनी (एलआईसी) के पास है, इसलिए परिसंपत्तियों को सुरक्षित माना जाता है।
ब्याज जोखिम	बांड ब्याज दर में कमी से योजना दायित्व में वृद्धि होगी; हालांकि, योजना के ऋण निवेश पर रिटर्न में वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी।
दीर्घावधि जोखिम	परिभाषित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और बाद में मॉरटैलिटी के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और बाद में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं।

विवरण	मूल्यांकन	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
डिस्कांउट की दर	7.20%	7.44%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	3.00%	3.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिर्टन	7.20%	7.44%
मॉर्टिलिटी दर* (रोजगार के दौरान)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) (शहरी)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012–14) (शहरी)

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न होने वाली तुलन पत्र में शामिल राशि इस प्रकार है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्त पोषित प्रक्षेपित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,486.46)	(1,479.35)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	655.62	783.02
वित्त पोषित स्थिति	(830.84)	(696.33)
मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति पर प्रतिबंध		
प्रक्षेपित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाला शुद्ध दायित्व	**(830.84)**	**(696.33)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अवधि में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,479.35	1,674.27
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	(783.02)	(1,062.47)
प्रारंभ में शुद्ध दायित्व/(परिसंपत्ति)	**696.33**	**611.80**
ब्याज लागत	110.06	116.86
(ब्याज आय)	(58.26)	(74.16)
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**51.80**	**42.70**

चालू अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू सेवा लागत	31.43	37.90
शुद्ध ब्याज लागत	51.80	42.70
गत सेवा लागत	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय	**83.23**	**80.60**

चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	51.33	(6.67)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	6.02	10.60
परिसंपत्तियों की सीमा में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में अवधि के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध (आय)/व्यय	**57.35**	**3.93**

प्रक्षेपित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक प्रक्षेपित लाभ दायित्व	1,479.35	1,674.27
ब्याज लागत	110.06	116.86
चालू सेवा लागत	31.43	37.90
गत सेवा लागत	-	-
पुर्नःगणना (लाभ)/हानिः	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकित लाभ और हानि	16.39	(33.49)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	34.95	26.82
फंड से लाभ भुगतान	(185.72)	(343.01)
अंतिम प्रक्षेपित लाभ दायित्व	**1,486.46**	**1,479.35**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों में परिवर्तन निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	783.02	1,062.47
ब्याज आय	58.26	74.16
योजना परिसंपत्तियों पर रिर्टन (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	(6.02)	(10.60)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	6.08	-
फंड से भुगतान किया गया लाभ	(185.72)	(343.01)
योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**655.62**	**783.02**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

तुलन पत्र मिलान

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	696.33	611.80
लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	83.23	80.60
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	57.36	3.93
अंतरण में शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	-	-
शुद्ध दायित्व / अंतरण के बाहर (परिसंपत्ति)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भूगतान किया गया लाभ)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	(6.08)	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	**830.84**	**696.33**

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बीमा फंड	655.62	783.02
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	**655.62**	**783.02**

अन्य जानकारियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सक्रिय सदस्यों की संख्या	197	208
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	152.56	151.91
प्रक्षेपित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत	-	6
औसत अपेक्षित भविष्य की सेवा	-	10
अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ)	1,486.46	1,479.35
अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 माह)	152.56	151.91

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,486.46	1,479.36
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(655.62)	(783.02)
अवधि की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	830.84	696.33
ब्याज लागत	107.03	110.06
(ब्याज आय)	(47.21)	(58.26)
अगली अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	59.82	51.80

अगले अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू सेवा लागत	31.37	31.43
शुद्ध ब्याज लागत	59.82	51.81
मान्यता प्राप्त व्यय	**91.19**	**83.24**

प्रक्षेपित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण: फंड से

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
रिपोर्टेंग की तारीख से भावी वर्षों में देय प्रक्षेपित लाभ		
1ला अनुवर्ती वर्ष	253.40	198.17
2रा अनुवर्ती वर्ष	205.42	185.62
3रा अनुवर्ती वर्ष	199.19	248.59
4था अनुवर्ती वर्ष	215.96	188.78
5वां अनुवर्ती वर्ष	137.03	202.57
6 से 10वे वर्ष का योग	557.44	582.67
11वां वर्ष और ऊपर का योग	731.85	747.38

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू धारणाओं पर प्रक्षेपित लाभ दायित्व	1,486.46	1,479.36
डिस्काऊंटिग दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	(65.55)	(67.28)
डिस्काऊंटिग दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	73.25	75.05
वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	38.91	39.31
वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	(38.17)	(39.59)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन	13.88	14.66
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन	(15.30)	(16.12)

32. वित्तीय साधन

32.1 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी पर विचार किया जाता है।

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह करती है कि वह एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुरक्षित रख सके और शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न दे सके। कंपनी की पूंजी संरचना, कुल इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसकी रणनीतिक और दिन–प्रतिदिन की जरूरतों के प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है ताकि निवेशक, लेनदारों और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके।

प्रबंधन और निदेशक मंडल पूंजी पर रिर्टन के साथ–साथ शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी करता है। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने या यदि आवश्यक हो तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।''

32.2 वित्तीय साधनों की श्रेणियां और उचित मूल्य

अ) वर्ग के अनुसार वित्तीय साधनों की वहन मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां	**16,593.50**	**16,593.50**	**18,407.96**	**18,407.96**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	102.92	102.92	149.02	149.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	78.76	78.76	174.10	174.10
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	15,180.16	15,180.16	16,515.03	16,515.03
नकद और नकद समतुल्य	1,118.02	1,118.02	1,358.61	1,358.61
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	113.64	113.64	211.20	211.20
वित्तीय दायित्व				
परिशोधन लागत पर धारित वित्तीय दायित्व :	**14,797.38**	**14,797.38**	**15,425.33**	**15,425.33**
गैर वर्तमान				
व्यापार देय	48.52	48.52	7.59	7.59
उधार	-	-	-	-
वर्तमान				
व्यापार देय	14,375.89	14,375.89	14,972.87	14,972.87
अन्य वित्तीय दायित्व	372.97	372.97	444.87	444.87

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य, वर्तमान व्यापार प्राप्तियां, वर्तमान व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों/दायित्वों जैसे वित्तीय साधनों को वहन मूल्य पर प्रकट किया है क्योंकि उनकी वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उचित मूल्यों का एक उचित अनुमान है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब) उचित मूल्य अनुक्रम

नकद और नकद समतुल्य, वर्तमान व्यापार प्राप्तियों, वर्तमान व्यापार देयताओं और वहन मूल्य पर प्रकट की गई अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों / देयताओं को छोड़कर, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों / देयताओं का उचित मूल्यांकन स्तर 3 स्तर का उपयोग करके किया जाता है।

उपरोक्त स्तर 3 श्रेणियों में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य को छूट वाले नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर आम तौर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार निर्धारित किया गया है।

32.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और ऋण जोखिम। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे को स्थापित करने और उसे संचालित करने की समग्र जिम्मेदारी है। व्यावसायिक विस्तार और हितों से उत्पन्न होने वाले नए और उभरते जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को लगातार अद्यतन किया जाता है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे में प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विभिन्न जोखिमों की पहचान, आंकलन, निगरानी और न्यूनीकरण से संबंधित प्रथाएं शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रथाएं कंपनी के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने और बढ़ाने का प्रयास करती हैं। कंपनी के मूल मूल्य और नैतिकता इसके जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए मंच प्रदान करते हैं। यह प्रणाली व्यवसाय का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें जोखिमों की पहचान एक संरचित तरीके से की जाती है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए समय पर और विवेकपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करना है:

– अवसरों के सकारात्मक प्रभावों को बढाना

– जोखिमों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना

– जोखिमों को अवसरों में बदलना

अ) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां इसे मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (नीचे नोट ए (i) देखें) और ब्याज दरों (नीचे नोट ए (ii) देखें) में परिवर्तन के वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर करती हैं।

कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रति जोखिम या इन जोखिमों को प्रबंधित करने और गणना के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अ)(i) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी इस जोखिम के अधीन है कि विदेशी मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन कंपनी के निर्यात राजस्व और कच्चे माल और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के आयात पर असर पड़ेगा।

कंपनी को अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसे विभिन्न मुद्रा जोखिमों से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है।

31 मार्च, 2024 तक, वित्तीय दायित्व (व्यापार देय) रखने पर कंपनी ने विदेशी मुद्रा जोखिम के 58 लाख रुपये (31 मार्च, 2023: 186.61 लाख रुपये) और वित्तीय संपत्ति (व्यापार प्राप्य) के शून्य रुपये (31 मार्च, 2023: 258 लाख रुपये) खर्च किये है।

<u>अ)(i)(अ) विदेशी मुद्रा संवेदात्मक विश्लेषण</u>

कंपनी जिन प्रमुख मुद्राओं से जुड़ी हुई है, उनके मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की मजबूती से लाभ–हानि विवरण में लगभग 327 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा (2022–23: 8.30 लाख रुपये)। इन मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के 5% कमजोर होने से समान लेकिन विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अ)(<u>ii</u>) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट का कोई बकाया क्रेडिट बैलेंस नहीं है। इस प्रकार कंपनी को ब्याज दरों में परिवर्तन का कोई जोखिम नहीं है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

ब) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी ने केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही लेन–देन करने की नीति अपनाई है। कंपनी ज्यादातर सरकारी संस्थाओं के साथ लेन–देन करती है, जिससे संविदात्मक दायित्वों पर चूक का जोखिम कम होता है। कंपनी के जोखिम की लगातार निगरानी की जाती है।

क्रेडिट सीमाएँ व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए तय की जाती हैं जिन्हें विपणन विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ग्राहकों से ऑर्डर स्वीकार करने से पहले इन सीमाओं की जांच की जाती है। इसके अलावा क्रेडिट सीमा की समय–समय पर समीक्षा की व्यवस्था भी है।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग का वहन मूल्य है।

कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल के सरलीकृत दृष्टिकोण के आधार पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान कर रही है। कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बकाया के लिए @10%, 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के बकाया के लिए @ 20% और 5 वर्षों से अधिक के बकाया के लिए @ 30% से प्रावधान किया है, जिससे कुल 100.93 लाख रुपये की राशि बनती है। उपरोक्त सिद्धांत विवेक की धारणा पर आधारित हैय पिछले रुझानों के अनुसार देनदारों की वसूली में निरंतरता, जहां वसूली में देरी हुई है, लेकिन देनदारी हमेशा अच्छी रही है।

विवरण	2023-24	2022-23
प्रारंभिक शेष	**2,428.81**	**2,224.03**
हानि स्वीकार्यता में परिवर्तनः		
अतिरिक्त प्रावधान	100.93	204.78
अंतिम शेष	**2,529.74**	**2,428.81**

स) तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसका कंपनी को अपनी वित्तीय दायित्वों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में करना पड़ेगा। तरलता के प्रबंधन में कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि होगी, बिना अस्वीकार्य नुकसान उठाए। ऐसा करने में, प्रबंधन सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों पर विचार करता है। प्रबंधन नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकद और नकद समतुल्यों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है।

परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह, दिन–प्रतिदिन के आधार पर वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराता है।

कंपनी पर्याप्त नकदी बनाए रखकर और बैंक खातों में फंड आधारित सीमा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अनुमानित प्रवाह के साथ–साथ कंपनी की वित्तीय दायित्वों के परिपक्वता विश्लेषण को दर्शाती है।

विवरण	वहन मूल्य	1 वर्ष के अंदर देय	1-2 वर्ष	2 वर्ष से ज्यादा	कुल
31 मार्च, 2024 को					
व्यापार देय*	14,424.41	3,984.94	372.06	10,067.41	14,424,41
अन्य वित्तीय दायित्व	372.97	372.97	-	-	372.97
कुल	**14,797.38**	**4,357.91**	**372.06**	**10,067.41**	**14,797.38**
31 मार्च, 2023 को					
व्यापार देय*	14,980.46	4,535.87	2,201.38	8,243.21	14,980.46
अन्य वित्तीय दायित्व	444.87	444.87	-	-	444.87
कुल	**15,425.33**	**4,980.74**	**2,201.38**	**8,243.21**	**15,425.33**

*व्यापार देय में 31 मार्च, 2023 को 9593.19 लाख रुपये शामिल है (31 मार्च 2023 को 9602.02 लाख रुपये) जो ग्राहक से भुगतान प्राप्त होने पर ही ठेकेदार को देय है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

33. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

(अ) संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते का विवरण :

31 मार्च, 2024 को

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षेप नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री राकेश चौपड़ा	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

31 मार्च, 2023 को

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षेप नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री राकेश चौपड़ा	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

33 (बी). उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन/शेष (नोट 33 (ए) में ऊपर उल्लेखित)

31 मार्च, 2024 को

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	793.89	-	-	-	**2,078.74**
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	**0.40**
अग्रिम जमा	-	42.39	-	-	-	**42.39**
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	1,116.62	-	-	-	**1,116.62**
पारिश्रमिक	-	-	46.67	39.99	15.35	**102.01**

31 मार्च, 2023 को

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	635.34	-	-	-	**1,920.19**
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	**0.40**
अग्रिम जमा	-	178.78	-	-	-	**178.78**
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	734.23	-	-	-	**734.23**
पारिश्रमिक	-	-	42.60	36.74	14.09	**93.43**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

34. खंड प्रतिवेदन

''खंड प्रतिवेदन'' पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :

व्यवसाय खंडः कंपनी ने अपने रिपोर्ट योग्य खंड के रूप में निम्नलिखित व्यवसाय खंडों को अपनाया है।

1. अक्षय ऊर्जा
2. इलेक्ट्रॉनिक

भारत और विदेशों में बिक्री राजस्व को अलग–अलग भौगोलिक खंडों के रूप में मानकर द्वितीयक खंड रिपोर्टिंग के लिए भौगोलिक खंड पर विचार किया गया है।

(I) प्राथमिक - व्यवसाय खंड :

	अक्षय ऊर्जा		इलेक्ट्रॉनिक्क		कुल	
विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**
राजस्व						
बाहरी	10,492.30	4,281.59	8,095.70	7,736.94	18,588.00	12,018.53
अंतर–खंड	-	-	-	-	-	-
खंड राजस्व	**10,492.30**	**4,281.59**	**8,095.70**	**7,736.94**	**18,588.00**	**12,018.53**
कुल राजस्व						
खंड परिणाम	**1,125.51**	**(905.50)**	**(711.76)**	**(775.98)**	**413.75**	**(1,681.48)**
ब्याज आय(+)					106.45	98.13
ब्याज व्यय(–)					83.32	86.57
कर व्यय(–)					120.74	(663.86)
शुद्ध लाभ / (हानि)					**316.14**	**(1,006.06)**

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**
खंड परिसंपत्तियां	**16,902.33**	**10,463.47**	**4,953.20**	**9,988.23**	**21,855.53**	**20,451.70**
आवंटित नहीं की गई परिसंपत्तियां					2,937.09	5,907.50
कुल परिसंपत्तियां					**24,792.62**	**26,359.20**
खंड दायित्व	**11,366.27**	**12,589.36**	**4,165.11**	**6,375.72**	**15,531.38**	**18,965.08**
आवंटित नहीं किया गया दायित्व					9,261.24	7,394.12
कुल दायित्व					**24,792.62**	**26,359.20**

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय	-	-	16.72	8.90	16.72	8.90
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	142.06	144.54	48.98	48.10	191.04	192.64

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(II) माध्यमिक - भौगोलिक खंड :

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	भारत		भारत के बाहर	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
राजस्व	12,033.12	11,713.58	6,554.88	304.95
खंड परिसंपत्तियों की वहन राशि	21,855.53	20,451.70	-	-
पूंजीगत व्यय/अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	16.72	8.90	-	-

35. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य नोट्स, संलग्न और खातों के हिस्से हैं

अ. आयात की सीआईएफ लागत

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल एवं कंपोनेन्ट्स	357.26	450.73
कुल	**357.26**	**450.73**

ब. विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी	28.78	57.89
यात्रा खर्च	1.60	-
कुल	**30.38**	**57.89**

स. एफओबी मूल्य पर विदेशी मुद्रा में अर्जन

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
निर्यात बिक्री	6,554.88	304.95
कुल	**6,554.88**	**304.95**

द.(i) निगमित सामाजिक दायित्व (2023-24)

– वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि – शून्य रुपये

– वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि;

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी तक नकद भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

द.(ii) निगमित सामाजिक दायित्व (2022-23)

– वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि – शून्य रुपये

– वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि;

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी तक नकद भुगतान किया जाना है	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

य. अनुसंधान और विकास पर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
राजस्व	336.09	417.36
पूंजीगत	-	-
कुल	**336.09**	**417.36**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

ह. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण (सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
i) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि*	2,214.10	2,979.81
ii) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त शेष राशि पर देय ब्याज	-	-
iii) धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
iv) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की गई है) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और लेखा वर्ष के अंत में अदा नहीं की गई	-	-
vi) आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-
कुल	**2,214.10**	**2,979.81**

* इसमें मुख्य रूप से वह बकाया शामिल है जो कार्य अनुबंधों से संबंधित संविदात्मक नियमों और शर्तों के कारण भुगतान योग्य नहीं है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए देयताओं का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि ऐसे पक्षों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनकी स्थिति के संबंध में ''कार्य ठेकेदारों'' से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है।

ल. खातों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान/समायोजन नहीं किया गया है:

(अ) अप्रत्यक्ष करों और आयकर निर्धारण के संबंध में अतिरिक्त देयताएं, यदि कोई हों, जिनका पता नहीं लगाया जा सका है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेमेल होने के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली देयताएं।

(ब) न्यायालय में निपटान के लिए लंबित दावे, जिनका पता नहीं लगाया जा सका है।

र. तकनीकी साहित्य, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टोर, रखरखाव, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा उपभोज्य सामग्रियों पर व्यय को क्रय वर्ष में उपभोग किए गए के रूप में मानते हुए लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।''

व. बिक्री में उन स्पेयर्स की बिक्री शामिल नहीं है जिनके लिए वित्तीय वर्ष की समापन के बाद फील्ड से सर्विस जॉब रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

36 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24/03/2021 के संदर्भ में अतिरिक्त नियामक सूचना :

36.1 अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां कंपनी के पास अपने नाम पर अचल संपत्ति न हो, इसलिए खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.2 निवेश संपत्ति के उचित मूल्य के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के खाते में कोई निवेश संपत्ति नहीं रखती है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पुनर्मूल्यांकन के मामले में खुलासा

''वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।''

36.4 अमूर्त संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में खुलासा

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

36.5 प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) और संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम के संबंध में खुलासा

कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सके।

36.6 पूंजीगत कार्य प्रगति में के संबंध में खुलासा

तुलन पत्र की तिथि तक कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

36.7 अमूर्त संपत्ति विकास के तहत के संबंध में खुलासा

कंपनी के पास विकासाधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

36.8 रखी गई बेनामी संपत्ति के संबंध में खुलासा

''बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।''

36.9 वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार लेने के संबंध में खुलासा

''कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड / गैर–फंड आधारित सीमा का लाभ उठा रही है, जो कच्चे माल के दृष्टिबंधक, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल और बुक किए गए देनदारों के माध्यम से सुरक्षित है। वर्ष के अंत में समायोजन और तुलन पत्र समायोजन में समय अंतराल के कारण बैंक को जमा किए गए आंकड़ों और मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट में वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर होता हैं।''

36.10 इरादतन डिफॉल्टर के संबंध में खुलासा

वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

36.11 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध–सामान्य खुलासा

कार्यशील पूंजी सीमा 29.05.24 को संशोधित की गई है और प्रभार में संशोधन उचित समय पर दाखिल किया जाएगा।

36.12 आर.ओ.सी. के साथ शुल्कों या संतुष्टि के पंजीकरण में देरी के बारे में खुलासा

आर.ओ.सी. के साथ वैधानिक अवधि से परे पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

36.13 कंपनियों की परतों की संख्या के अनुपालन के संबंध में खुलासा

यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

36.14 अनुपात का खुलासा

क्र.सं.	विवरण	अंश–गणक	विभाजक	31/3/2024	31/3/2023	परिवर्तन
(अ)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.12	1.07	4.67%
(ब)	देनदार–इक्विटी अनुपात	दीर्घकालिक देनदार	शेयरधारक का फंड + दीर्घकालिक देनदार	-	-	-
(स)	देनदार सेवा कवरेज अनुपात	ईबीडीआईटीए	ब्याज+मूलधन ब्याज कर अर्थ केवल सावधि ऋण ब्याज है न कि डब्ल्यूसी ब्याज	-	-	-
(द)	इक्विटी रिटर्न पर अनुपात	कर पश्चात शुद्ध आय	शेयरधारकों की इक्विटी	4.82%	-16.01%	130.09%
(य)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री की लागत	औसत स्टॉक	5.16	3.03	70.30%
(ह)	व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात	उधार बिक्री	प्राप्त खाते	1.22	0.72	69.44%
(र)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	क्रेडिट खरीद	देय खाते	0.70	0.42	66.67%
(ल)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	8.59	8.43	1.90%
(श)	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	परिचालन में राजस्व	1.70%	-8.37%	120.32%
(ष)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर और पूर्व अवधि मद से पहले आय	नियोजित पूंजी	7.93%	-25.19%	131.47%
(क्ष)	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज, कर और वरीयता लाभांश पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व	4.82%	-16.01%	130.09%

36.15 व्यवस्था की अनुमोदित योजना के अनुपालन के संबंध में खुलासा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार कोई व्यवस्था योजना स्वीकृत नहीं है।

36.16 उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम के उपयोग के संबंध में खुलासा

''कंपनी ने न तो बिचौलियों को कोई फंड अग्रिम दिया है और न ही इस समझ के साथ कोई फंड प्राप्त किया है कि मध्यस्थ या कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनीधवित्त पोषण एजेंसी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या इसकी कोई गारंटी प्रदान करेगी।''

वित्तीय विवरणों के साथ नोट्स देखें (1–36)

हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार।
कृते वाई. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN 001912C
हस्ताक्षरित
(CA गोविंद प्रसाद शर्मा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 071893
स्थान : जयपुर
दिनांक : 06.09.2024
यूडीआईएन : 24071893BKEREZ2773

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(अंजू गोयल)
निदेशक
डीआईएन : 10558241

हस्ताक्षरित
(डॉ. पी. एन. शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 10729529

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी